

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 जून 2019—ज्येष्ठ 31, शक 1941

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 मई 2019

क्र. ई. 1-247-2019-5-एक.—श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे (1991) प्रमुख संचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग, एवं वाणिज्यिक कर विभाग तथा वि. क. अ.-सह-आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य ऊर्जा विकास निगम, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(2) श्री रवि डफरिया, भाप्रसे (2006), अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी अस्थायी रूप से, आदेश तक, संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 22 मई 2019

क्र. ई-5-556-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अनुराग जैन, भाप्रसे., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 20 से 24 मई 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18, 19 मई 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

5593

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग जैन, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अनुराग जैन, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग जैन, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-791-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री निशांत वरवड़े, आयएस., सचिव, मानव अधिकार आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 27 मई से 7 जून 2019 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 26 मई एवं 08, 09 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री निशांत वरवड़े को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मानव अधिकार आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री निशांत वरवड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री निशांत वरवड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 23 मई 2019.

क्र. ई-5-683-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को दिनांक 1 से 8 जून 2019 तक कनाडा में आयोजित Women Deliver Confrence in Vancouver कांफ्रेंस एवं दिनांक 10 से 11 जून 2019 तक Palliative Cancer Care Unit न्युयार्क में अध्ययन हेतु जाने के अनुक्रम में दिनांक 12 से 14 जून 2019 तक, तीन दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती पल्लवी जैन गोविल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा भोपाल

गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती पल्लवी जैन गोविल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती पल्लवी जैन गोविल अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-973-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अरूण कुमार तोमर, भाप्रसे., अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 17 जून से 12 जुलाई 2019 तक, छब्बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13, 14 जुलाई 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार तोमर, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अरूण कुमार तोमर, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरूण कुमार तोमर, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 27 मई 2019

क्र. ई-1-194-2019-5-एक.—श्री मनोहरलाल दुबे, भाप्रसे (2000) कमिश्नर, सागर संभाग, सागर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश पदस्थ किया जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री मनोहरलाल दुबे द्वारा सचिव, राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2016 के नियमों के अन्तर्गत सचिव, राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

क्र. ई-1-249-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे, अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र. (1)	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना (2)	नवीन पदस्थापना (3)
1	श्री जे. एन. कांसौटिया (1989), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग.
2	डॉ. राजेश कुमार राजौरा (1990), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग तथा प्रमुख सचिव, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड एवं वि.क.अ.-सह-सदस्य (पुनर्वास) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल तथा उपाध्यक्ष नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (अतिरिक्त प्रभार).
3	श्री अजीत केसरी (1990), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग एवं संसदीय कार्य विभाग.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं सहकारिता विभाग.
4	श्री अशोक शाह (1990), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन
5	श्री पंकज अग्रवाल (1992), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड एवं वि.क.अ.- सह-सदस्य (पुनर्वास) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल तथा उपाध्यक्ष नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (अतिरिक्त प्रभार).	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग तथा पर्यावरण आयुक्त एवं महानिदेशक एफको.
6	श्री अनुपम राजन (1993), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग तथा पर्यावरण आयुक्त एवं महानिदेशक एफको.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग

(2) श्री मलय श्रीवास्तव, भाप्रसे (1990), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, परिवहन विभाग एवं प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(3) श्री शिवशेखर शुक्ला, भाप्रसे (1994), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा जल संसाधन विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को केवल प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है.

(4) श्रीमती रेनु तिवारी, भाप्रसे (2000), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग एवं नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री मध्यप्रदेश, भोपाल तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को केवल सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग के अतिरिक्त के प्रभार से मुक्त किया जाता है.

क्र. ई-1-252-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे, अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

स. क्र. (1)	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना (2)	नवीन पदस्थापना (3)
1	श्री शोभित जैन (2000), कमिश्नर शहडोल संभाग, शहडोल.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय
2	डॉ. एम. के. अग्रवाल (2000), कमिश्नर चंबल संभाग, मुरैना.	आयुक्त सह-पंजीयक-सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ (अतिरिक्त प्रभार).
3	श्री बी. एम. शर्मा (2001), सदस्य राजस्व मण्डल, ग्वालियर.	कमिश्नर, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर
4	श्री महेश चन्द्र चौधरी (2001), कमिश्नर, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर.	सदस्य, राजस्व मण्डल ग्वालियर
5	श्री आर. बी. प्रजापति (2002), सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश खाद्य आयोग, भोपाल.	कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल
6	डॉ. श्रीनिवास शर्मा (2003), अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.	कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा
7	श्री शेखर वर्मा (2004), कलेक्टर, जिला शहडोल.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन
8	श्रीमती छवि भारद्वाज (2008), कलेक्टर, जिला जबलपुर.	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन
9	श्री भरत यादव (2008), कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा.	कलेक्टर, जिला जबलपुर
10	श्री मनोज खत्री (2008), कलेक्टर, जिला पन्ना.	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन
11	श्री ललित कुमार दाहिमा (2008), उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन.	कलेक्टर, जिला शहडोल
12	श्री धनराजू एस. (2009), कलेक्टर, जिला मंदसौर.	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन
13	श्री छोटे सिंह (2010), अपर आयुक्त (राजस्व), जबलपुर संभाग, जबलपुर.	कलेक्टर, जिला भिण्ड
14	डॉ. विजय कुमार जे. (2011), कलेक्टर, जिला भिण्ड.	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन

(2) उपरोक्त तालिका के क्रमांक 2 पर उल्लेखित श्री एम. के. अग्रवाल, भाप्रसे (2000) का पदस्थापना आदेश दिनांक 1 जून 2019 से प्रभावशील होगा.

क्र. ई-1-253-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे, अधिकारी को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र. (1)	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना (2)	नवीन पदस्थापना (3)
-------------	---	-----------------------

1 श्री हरिसिंह मीणा (2011),
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, रीवा.

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 28 मई 2019

क्र. ई-1-254-2019-5-एक.—श्री शेखर वर्मा, भाप्रसे (2004),
अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय को अस्थायी रूप से,
आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत
एवं पुनर्वास, भोपाल के पद पर पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई-1-255-2019-5-एक.—श्री एम. गोपाल रेड्डी, भाप्रसे
(1985), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जन संपर्क विभाग
तथा जल संसाधन विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम,
भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर
मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग एवं नर्मदा
घाटी विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट
कंपनी लिमिटेड एवं वि.क.अ.-सह-सदस्य (पुनर्वास) नर्मदा घाटी
विकास प्राधिकरण, भोपाल तथा उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास
प्राधिकरण (अतिरिक्त प्रभार) पदस्थ किया जाता है.

(2) इस विभाग के आदेश क्रमांक ई-1-249-2019-5-एक,
दिनांक 27 मई 2019 द्वारा डॉ. राजेश कुमार राजौरा, भाप्रसे (1990),
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन
विभाग, नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, नर्मदा
बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड एवं वि.क.अ.-सह-सदस्य (पुनर्वास)
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल तथा उपाध्यक्ष नर्मदा घाटी
विकास प्राधिकरण (अतिरिक्त प्रभार) पदस्थ किया गया है, में
आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी
आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्योग नीति
एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग एवं जनसंपर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई-5-883-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अनय द्विवेदी,
आयएस., अपर आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर को दिनांक 3 से 14 जून 2019 तक, बारह दिन का एक्स-
इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ
दिनांक 2 जून एवं 15, 16 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को
जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनय द्विवेदी को अस्थायी रूप
से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, भू-अभिलेख एवं
बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया
जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अनय द्विवेदी को अवकाश वेतन एवं
भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व
मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनय द्विवेदी अवकाश
पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 29 मई 2019

क्र. ई-1-229-2019-5-एक.—श्रीमती जयश्री कियावत, भाप्रसे
(2000) आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल अपने कर्तव्यों के
साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पदेन सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग भी घोषित किया जाता है.

क्र. ई-1-450-2012-5-एक.—श्री एस. एस. कुमरे, भाप्रसे
(2000), तत्कालीन कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा
गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, जिला उमरिया के विरुद्ध वर्ष
2009-10 एवं 2010-11 की अवधि में मनरेगा कार्य में अनियमितता
किये जाने के कारण जारी कारण बताओ सूचना-पत्र एवं उस पर
श्री कुमरे द्वारा दिये गये उत्तर एवं भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय
के संदर्भ में विभागीय आदेश क्रमांक डी-2-47-2011-6-एक,
दिनांक 30 मार्च 2019 द्वारा प्रकरण में प्रशासकीय चेतावनी जारी
करते हुए प्रकरण बिना किसी दंड के इसी प्रक्रम पर समाप्त किया
गया है.

(2) आवंटन वर्ष 2000 तथा पूर्व वर्षों के अवशेष भाप्रसे अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति के उपयुक्तता निर्धारण हेतु दिनांक 31 जनवरी 2013 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में छानबीन समिति की बैठक संपन्न हुई थी। उक्त बैठक में आवंटन वर्ष 2000 के भाप्रसे अधिकारियों के साथ-साथ श्री एस. एस. कुमरे, भाप्रसे (2000) के नाम पर भी छानबीन समिति द्वारा विचार किया गया।

(3) छानबीन समिति द्वारा विचारोपरान्त श्री एस. एस. कुमरे, भाप्रसे (2000) के रिकार्ड के समग्र मूल्यांकन के आधार पर प्रवर श्रेणी वेतनमान में उनकी पदोन्नति की उपयुक्तता के संबंध में अपनी अनुशंसा को सीलबंद लिफाफे में रखे जाने की अनुशंसा की।

(4) आवंटन वर्ष 2000 के भाप्रसे अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति दिये जाने के पश्चात् आवंटन वर्ष 2001 के लिए दिनांक 12 सितंबर, 2014, आवंटन वर्ष 2002 के लिए दिनांक 04 नवंबर, 2015, आवंटन वर्ष 2003 के लिए दिनांक 23 फरवरी, 2016, आवंटन वर्ष 2004 के लिए दिनांक 26 दिसम्बर, 2016, आवंटन वर्ष 2005 के लिए दिनांक 18 दिसम्बर 2017 एवं आवंटन वर्ष 2006 के लिए दिनांक 07 दिसम्बर 2018 को प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति दिये जाने के लिए आयोजित छानबीन समिति की बैठकों में भी श्री एस. एस. कुमरे, भाप्रसे (2000) के नाम पर वरिष्ठता क्रम पर समिति द्वारा विचार किया गया। चूंकि श्री कुमरे के विरुद्ध विभागीय जांच प्रकरण लंबित/विचाराधीन होने के कारण आवंटन वर्ष 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 एवं 2006 में भी श्री कुमरे की पदोन्नति के संबंध में समिति द्वारा अपनी अनुशंसा सीलबंद लिफाफे में रखे जाने की अनुशंसा की गई।

(5) श्री एस. एस. कुमरे की विचारोपरान्त भारत सरकार द्वारा प्रशासकीय चेतावनी दिये जाने के संबंध में संसूचित किया गया है। भारत सरकार के उक्त निर्णय के परिक्रम में विभाग के आदेश दिनांक 30 मार्च 2019 से श्री एस. एस. कुमरे के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रकरण प्रशासकीय चेतावनी देते हुए बिना किसी दण्ड के इसी प्रक्रम पर समाप्त किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।

(6) विभागीय आदेश दिनांक 30 मार्च 2019 के आलोक में श्री एस. एस. कुमरे, (सेवानिवृत्त भाप्रसे-2000) की पदोन्नति के संबंध में छानबीन समिति की बैठक दिनांक 31 जनवरी 2013 में रखा गया बंद लिफाफा खोला गया। समिति द्वारा श्री एस. एस. कुमरे, (सेवानिवृत्त भाप्रसे-2000) को प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया गया है।

(7) आवंटन वर्ष 2000 के भाप्रसे अधिकारियों को दिनांक 1 जनवरी 2013 से भाप्रसे का प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किया

गया है। अतः, राज्य शासन, एतद्वारा, श्री एस. एस. कुमरे, (सेवानिवृत्त भाप्रसे-2000) को दिनांक 1 जनवरी 2013 से भाप्रसे में प्रवर श्रेणी वेतनमान (रुपये 37400—67000+ग्रेड पे 8700) में काल्पनिक पदोन्नति (Notional Promotion) प्रदान करता है। प्रवर श्रेणी वेतनमान में श्री एस. एस. कुमरे का वेतन एवं अन्य स्वत्व काल्पनिक पदोन्नति (Notional Promotion) की तिथि अर्थात् 01 जनवरी 2013 से निर्धारित होंगे। किन्तु प्रवर श्रेणी वेतनमान में काल्पनिक पदोन्नति की दिनांक 1 जनवरी 2013 से सेवानिवृत्ति की दिनांक 31 मार्च 2019 की अवधि में उन्हें पदोन्नत पद पर वेतन/भत्तों एवं एरियर्स की राशि की पात्रता “कार्य नहीं वेतन नहीं” के सिद्धांत के आधार पर देय नहीं होगी।

क्र. ई-5-606-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री पंकज अग्रवाल, आयएस, तत्कालीन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड एवं वि.क.अ.-सह-सदस्य (पुनर्वास) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल (वर्तमान में प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग तथा पर्यावरण आयुक्त एवं महानिदेशक एफको) को दिनांक 17 से 29 जून 2019 तक, तेरह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 एवं 30 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री पंकज अग्रवाल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार डॉ. राजेश कुमार राजौरा, भाप्रसे प्रमुख सचिव, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग तथा जनसंपर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री पंकज अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग तथा पर्यावरण आयुक्त एवं महानिदेशक एफको के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री पंकज अग्रवाल द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग तथा पर्यावरण आयुक्त एवं महानिदेशक एफको का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. राजेश कुमार राजौरा, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री पंकज अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पंकज अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 1 जून 2019

क्र. ई-1-256-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे, अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री गुलशन बामरा (1997), आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग.	कमिश्नर, सागर संभाग, सागर	—
2	श्रीमती छवि भारद्वाज (2008), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.	मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
3	डॉ. विजय कुमार जे. (2011), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.	संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मध्यप्रदेश भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

(2) उपरोक्तानुसार श्रीमती छवि भारद्वाज द्वारा मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नीतेश कुमार व्यास, भाप्रसे (1996), आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (अतिरिक्त प्रभार) केवल मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई-1-258-2019-5-एक.—श्रीमती रेनू तिवारी, भाप्रसे (2000), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग एवं नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री मध्यप्रदेश, भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, चंबल संभाग, मुरैना के पद पर पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई-1-260-2019-5-एक.—श्री एम. बी. ओझा, भाप्रसे (2001), आयुक्त, महिला एवं बाल विकास मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी बाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई-1-262-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे, अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री अजय सिंह गंगवार (2004), सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल.	कलेक्टर, नीमच	—

(1)	(2)	(3)	(4)
2	श्री सुदाम पंढरीनाथ खाडे (2006), कलेक्टर, भोपाल.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन	—
3	श्री अभय कुमार वर्मा (2007), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा संचालक, महिला सशक्तिकरण मध्यप्रदेश (अतिरिक्त प्रभार).	कलेक्टर, आगर-मालवा	—
4	श्री दीपक सिंह (2007), कलेक्टर, धार.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन	—
5	श्री विशेष गढपाले (2008), कलेक्टर, खण्डवा.	कलेक्टर, सतना	—
6	श्रीमती सुरभि गुप्ता (2008), कलेक्टर, डिंडोरी.	कलेक्टर, अलीराजपुर	—
7	श्री वीरेन्द्र सिंह रावत (2008), अपर आयुक्त (राजस्व) सागर संभाग, सागर.	कलेक्टर, शाजापुर	—
8	श्री शमीम उद्दीन (2008), कलेक्टर, अलीराजपुर.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन	—
9	श्रीमती सूफिया फारूकी वली (2009) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल.	कलेक्टर, रायसेन	—
10	श्री अजय गुप्ता (2009), कलेक्टर, आगर-मालवा.	कलेक्टर, सीहोर	—
11	श्री श्रीकान्त बनोठ (2009), कलेक्टर, शाजापुर.	कलेक्टर, धार	—
12	श्री उमेश कुमार (2009), कलेक्टर, बुरहानपुर.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन	—
13	श्री आशीष कुमार (2009), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, अध्यात्म विभाग तथा संचालक, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश तीर्थ एवं मेला प्राधिकरण (अतिरिक्त प्रभार).	आयुक्त, नगरपालिक निगम, जबलपुर	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

(1)	(2)	(3)	(4)
14	सुश्री शैलबाला अंजना मार्टिन (2009), कलेक्टर, निवाड़ी.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन	—
15	श्री शशि भूषण सिंह (2009), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल.	कलेक्टर, कटनी	—
16	श्री सतेन्द्र सिंह (2009), कलेक्टर, सतना.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन	—
17	श्री मनीष सिंह (2009), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग.	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उद्योग	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
18	श्री गणेश शंकर मिश्रा (2010), कलेक्टर, सीहोर.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन	—
19	श्रीमती तन्वी सुन्दरियाल (2010), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम, भोपाल.	कलेक्टर, खण्डवा	—
20	श्री तरूण राठी (2010), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एवं महाप्रबंधक (कार्मिक), मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल (अतिरिक्त) प्रभार.	कलेक्टर, दमोह	—
21	श्री कर्मवीर शर्मा (2010), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग.	कलेक्टर, पन्ना	—
22	श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा (2010), कलेक्टर, रायसेन.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन	—
23	श्री अक्षय कुमार सिंह (2010), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल.	कलेक्टर, निवाड़ी	—
24	श्री चन्द्रमौली शुक्ला (2011), आयुक्त, नगर पालिक निगम, जबलपुर.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन	—

(1)	(2)	(3)	(4)
25	श्री मनोज पुष्प (2011), मुख्य महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर.	कलेक्टर, मंदसौर	—
26	श्री नीरज कुमार सिंह (2012), कलेक्टर, दमोह.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन	—
27	डॉ. पंकज जैन (2012), कलेक्टर, कटनी.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन	—
28	श्री राजीव रंजन मीना (2012), कलेक्टर, नीमच.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन	—
29	श्री बक्की कार्तिकेयन (2012) अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल.	कलेक्टर, डिंडोरी	—

भोपाल, दिनांक 3 जून 2019

क्र. ई. 1-249-2019-5-एक.—श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी, भाप्रसे (1993) को अवकाश से लौटने पर, उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, 'कार्मिक', मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग पदस्थ किया जाता है.

(2) उपरोक्तानुसार श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी द्वारा प्रमुख सचिव, 'कार्मिक', मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती रश्मि अरूण शर्मा, भाप्रसे (1994), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग तथा प्रमुख सचिव, 'कार्मिक', मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (अतिरिक्त प्रभार), केवल प्रमुख सचिव, 'कार्मिक', मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

क्र. ई.-5-630-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26 अप्रैल 2019 द्वारा श्री नीरज मंडलोई, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग एवं प्रबंध संचालक, खनिज विकास निगम को दिनांक 6 से 14 जून 2019 तक, नौ दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 जून एवं 15, 16 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की गई है.

(2) श्री नीरज मंडलोई की अवकाश अवधि में श्री शिवशेखर शुक्ला, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा

विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग एवं प्रबंध संचालक, खनिज विकास निगम का प्रभार सौंपा जाता है.

क्र. ई-5-650-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री हरिरंजन राव, भाप्रसे., प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग तथा विकअ-सह-आयुक्त, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन निगम को दिनांक 3 से 7 जून 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 08, 09 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री हरिरंजन राव, प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग तथा विकअ-सह-आयुक्त, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन निगम की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्री पंकज राग, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग तथा आयुक्त-सह-संचालक, स्वराज संस्थान एवं न्यासी सचिव, भारत भवन तथा आयुक्त-सह-संचालक, संस्कृति तथा पुरातत्व एवं संग्रहालय को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री हरिरंजन राव, आयएएस. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग तथा विकअ-सह-आयुक्त, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री हरिरंजन राव द्वारा प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग तथा विकअ-सह-आयुक्त, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन

बोर्ड तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पंकज राग, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री हरिरंजन राव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हरिरंजन राव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-911-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती अनुग्रह पी., आयएएस., कलेक्टर, जिला शिवपुरी को दिनांक 3 से 14 जून 2019 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 जून एवं 15, 16 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्रीमती अनुग्रह पी., भाप्रसे की अवकाश अवधि में श्री एच. पी. वर्मा, राप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शिवपुरी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, अस्थायी रूप से कलेक्टर, जिला शिवपुरी का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अनुग्रह पी., भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला शिवपुरी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती अनुग्रह पी., भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला शिवपुरी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एच. पी. वर्मा, राप्रसे, कलेक्टर, जिला शिवपुरी के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती अनुग्रह पी., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अनुग्रह पी., अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने के पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-1066-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती सपना निगम, आयएएस., अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर को दिनांक 3 से 22 जून 2019 तक, बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सपना निगम, आयएएस., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सपना निगम, आयएएस., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सपना निगम, आयएएस., अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पर पद कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 4 जून 2019

क्र. ई-5-564-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती वीरा राणा, भाप्रसे (1988) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 30 अप्रैल 2019 द्वारा दिनांक 1 से 25 मई 2019 तक, पच्चीस दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया गया था, के अनुक्रम में अब, उन्हें दिनांक 26 मई से 4 जून 2019 तक, दस दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 30 अप्रैल 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी।

क्र. ई-5-792-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल, आयएएस., (2003) को दिनांक 28 मई से 14 जून 2019 तक, अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-825-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े, आयएएस., तत्कालीन कलेक्टर, जिला भोपाल को दिनांक 7 से 12 जून 2019 तक, छः दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े की अवकाश अवधि में श्री सतीश कुमार एस. भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े द्वारा कलेक्टर, जिला भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सतीश कुमार एस., भाप्रसे, कलेक्टर, जिला भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे।

(4) अवकाशकाल में डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-962-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रियंक मिश्रा, आयएस., (2013) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिंगरौली को समसंख्यक आदेश दिनांक 26 अप्रैल 2019 द्वारा दिनांक 27 मई से 25 जून 2019 तक, तीस दिन का अर्जित अवकाश अर्जित स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त अवकाश अवधि में से दिनांक 19 से 24 जून 2019 तक, छः दिन की अवधि एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत की जाती है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 26 अप्रैल 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधि रंजन मोहंती, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 20 मई 2019

क्र. ई-5-479-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रभांशु कमल, आयएस., कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 22 एवं 23 अप्रैल 2019 कुल दो दिन के स्वीकृत आकस्मिक अवकाश को परिवर्तित कर उक्त अवधि का अर्जित अवकाश कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री प्रभांशु कमल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो कि उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रभांशु कमल, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-826-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, आयएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् को समसंख्यक आदेश दिनांक 12 अप्रैल 2019 द्वारा दिनांक 6 से 22 जून 2019 तक, सत्रह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश दिनांक 5 एवं 23 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, निरस्त करते हुए अब उन्हें दिनांक 27 मई से 14 जून 2019 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 26 मई एवं 15, 16 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जी. व्ही. रश्मि अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-827-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री श्रीमन शुक्ला, भाप्रसे, (2007) संचालक, मध्यप्रदेश खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 27 मई से 1 जून 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 26 मई एवं 2 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री श्रीमन शुक्ला, आयएस., की अवकाश अवधि में श्री कर्मवीर शर्मा, भाप्रसे, उपसचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संचालक, मध्यप्रदेश खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री श्रीमन शुक्ला, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, मध्यप्रदेश खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री श्रीमन शुक्ला, भाप्रसे द्वारा संचालक, मध्यप्रदेश खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री कर्मवीर शर्मा, भाप्रसे, संचालक, मध्यप्रदेश खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश, भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री श्रीमन शुक्ला, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री श्रीमन शुक्ला, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पर पद कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-882-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती शिल्पा गुप्ता, आयएस., कार्यपालक संचालक, औद्योगिक विकास निगम, भोपाल को दिनांक 27 मई से 1 जून 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 26 मई एवं 2 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती शिल्पा गुप्ता, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कार्यपालक संचालक, औद्योगिक विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती शिल्पा गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शिल्पा गुप्ता अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई-5-948-आयएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. अरूणा गुप्ता, भाप्रसे (2004), संचालक, एम पी स्टेट्स एड्स कंट्रोल सोसायटी, भोपाल को पूर्व में स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 11 से 25 मई 2019 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. अरूणा गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, एम पी स्टेट्स एड्स कंट्रोल सोसायटी, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में डॉ. अरूणा गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. अरूणा गुप्ता अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई-5-974-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आदित्य सिंह, आयएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मंदसौर को दिनांक 25 से 30 मई 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आदित्य सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मंदसौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री आदित्य सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आदित्य सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-1018-आयएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री रानी बंसल, आयएस., अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बागली, जिला देवास को समसंख्यक आदेश दिनांक 12 अप्रैल 2019 द्वारा पूर्व में स्वीकृत अर्जित अवकाश दिनांक 16 मार्च से 30 अप्रैल 2019 तक, छियालीस दिन के अनुक्रम में, दिनांक 1 से 31 मई 2019 तक, इकतीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री रानी बंसल, आयएस को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बागली, जिला देवास के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में सुश्री रानी बंसल, आयएस को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री रानी बंसल, आयएस अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 22 मई 2019

क्र. ई-5-930-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री फटिंग राहुल हरिदास, आयएस., अपर कलेक्टर, जिला जबलपुर को दिनांक 27 मई से 14 जून 2019 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 26 मई एवं 15, 16 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री फटिंग राहुल हरिदास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, जिला जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री फटिंग राहुल हरिदास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री फटिंग राहुल हरिदास अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-993-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव, आयएस., कलेक्टर जिला रीवा को दिनांक 3 से 11 जून 2019 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 2 जून 2019 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में श्री एच. एस. मीना, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रीवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कलेक्टर जिला रीवा का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा कलेक्टर जिला जिला का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एच. एस. मीना, भाप्रसे कलेक्टर, जिला रीवा के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 23 मई 2019

क्र. ई-5-871-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री धनराजू एस., आयएएस., कलेक्टर, जिला मंदसौर को दिनांक 3 से 14 जून 2019 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 एवं 15, 16 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री धनराजू एस. की अवकाश अवधि में श्री आदित्य सिंह, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मंदसौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला मंदसौर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री धनराजू एस. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला मंदसौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री धनराजू एस. द्वारा कलेक्टर, जिला मंदसौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आदित्य सिंह, भाप्रसे, उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री धनराजू एस. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री धनराजू एस., अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-872-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती प्रियंका दास, आयएएस., कलेक्टर, जिला मुरैना को दिनांक 10 से 14 जून 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 08, 09 एवं 15, 16 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्रीमती प्रियंका दास, आयएएस., की अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला मुरैना का प्रभार श्री तरूण भटनागर, राप्रसे,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मुरैना को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रियंका दास, आयएएस., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती प्रियंका दास, आयएएस., द्वारा कलेक्टर, जिला मुरैना का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री तरूण भटनागर, राप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती प्रियंका दास, आयएएस., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रियंका दास, आयएएस., अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई-5-923-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती निधि निवेदिता, आयएएस., कलेक्टर, जिला राजगढ़ को दिनांक 10 से 22 जून 2019 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 08, 09 एवं 23 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्रीमती निधि निवेदिता की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री भूपेन्द्र कुमार गोयल, राप्रसे, अपर कलेक्टर, राजगढ़ को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती निधि निवेदिता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला राजगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती निधि निवेदिता, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला राजगढ़ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री भूपेन्द्र कुमार गोयल उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती निधि निवेदिता को अवकाश वेतन भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती निधि निवेदिता अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई-5-1004-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री दीपक सिंह, आयएएस., कलेक्टर, जिला धार को दिनांक 31 मई से 7 जून 2019 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 08, 09 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री दीपक सिंह की अवकाश अवधि में श्री संतोष कुमार वर्मा, राप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, धार को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला धार का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री दीपक सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला धार के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री दीपक सिंह द्वारा कलेक्टर, जिला धार का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संतोष कुमार वर्मा, भाप्रसे, कलेक्टर, जिला धार उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री दीपक सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दीपक सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 24 मई 2019

क्र. ई-5-908-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री शशांक मिश्रा, भाप्रसे, (2007) कलेक्टर, जिला उज्जैन को दिनांक 25 जून से 5 जुलाई 2019 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री शशांक मिश्रा, भाप्रसे, की अवकाश अवधि में श्रीमती प्रतिभा पाल, भाप्रसे, आयुक्त, नगर पालिक निगम, उज्जैन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, कलेक्टर जिला उज्जैन का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री शशांक मिश्रा, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री शशांक मिश्रा, भाप्रसे, द्वारा कलेक्टर, जिला उज्जैन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती प्रतिभा पाल, भाप्रसे, कलेक्टर, जिला उज्जैन के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री शशांक मिश्रा, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शशांक मिश्रा, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 25 मई 2019

क्र. ई-5-869-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अजय गुप्ता, आयएस., कलेक्टर, जिला आगर-मालवा को दिनांक 28 मई से 1 जून 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री अजय गुप्ता की अवकाश अवधि में श्री एन. एस. राजावत, राप्रसे, अपर कलेक्टर, जिला आगर-मालवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला आगर-मालवा का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजय गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला आगर-मालवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अजय गुप्ता द्वारा कलेक्टर, जिला आगर-मालवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एन. एस. राजावत, कलेक्टर, जिला आगर-मालवा के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अजय गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-877-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अमित तोमर, आयएस., कलेक्टर, जिला बड़वानी को दिनांक 28 मई से 4 जून 2019 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री अमित तोमर की अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला बड़वानी का प्रभार श्री अंकित अस्थाना, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बड़वानी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अमित तोमर, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला बड़वानी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अमित तोमर, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला बड़वानी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अंकित अस्थाना, भाप्रसे, उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अमित तोमर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित तोमर, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 28 मई 2019

क्र. ई-5-972-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आशीष भार्गव, आयएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को पूर्व में स्वीकृत अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 6 से 18 अप्रैल 2019 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ 19, 20 एवं 21 अप्रैल 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आशीष भार्गव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री आशीष भार्गव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष भार्गव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-994-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री पी. आर. कतरोलिया, आयएस., अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन को दिनांक 3 से 7 जून 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 एवं 08 एवं 09 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री पी. आर. कतरोलिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री पी. आर. कतरोलिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. आर. कतरोलिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-1039-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री सिद्धार्थ जैन, भाप्रसे, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ को दिनांक 28 मई से 1 जून 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सिद्धार्थ जैन, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री सिद्धार्थ जैन, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिद्धार्थ जैन, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-1092-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री दिनेश जैन, आयएस., अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर को दिनांक 1 से 7 जून 2019 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 08 एवं 09 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री दिनेश जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दिनेश जैन, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 29 मई 2019

क्र. ई-5-816-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री संजीव सिंह, आयएस., संचालक, कौशल विकास मध्यप्रदेश तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन तथा संचालक प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल एवं संचालक रोजगार को समसंख्यक आदेश दिनांक 15 अप्रैल 2019 द्वारा दिनांक 25 मई से 22 जून 2019 तक, उन्तीस दिन का अर्जित अवकाश (जिसमें दिनांक 5 से 22 जून 2019 तक, अठारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश सम्मिलित है) स्वीकृत किया गया था, निरस्त करते हुए अब उन्हें दिनांक 25 मई से 22 जून 2019 तक उन्तीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव सिंह, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, कौशल विकास मध्यप्रदेश तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन तथा संचालक प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल एवं संचालक रोजगार के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री संजीव सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-917-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री सौरभ कुमार सुमन, भाप्रसे., कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ को दिनांक 3 से 14 जून 2019 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 एवं 15, 16 जून 2019 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री सौरभ कुमार सुमन, भाप्रसे की अवकाश अवधि में श्रीमती नीतू माथुर, राप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं अपर कलेक्टर (विकास) जिला टीकमगढ़ को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, अस्थायी रूप से कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सौरभ कुमार सुमन, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री सौरभ कुमार सुमन, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती नीतू माथुर, राप्रसे, कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्री सौरभ कुमार सुमन, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सौरभ कुमार सुमन, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-1026-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला, आयएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 29 मई से 14 जून 2019 तक, सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला, आयएस., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 30 मई 2019

क्र. ई-5-829-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री नागरगोजे मंदन विभीषण, आयएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग को दिनांक 30 मई से 14 जून 2019 तक, सोलह दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री नागरगोजे मंदन विभीषण को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री नागरगोजे मंदन विभीषण को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नागरगोजे मंदन विभीषण अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-969-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस. कृष्ण चैतन्य, भाप्रसे (2013), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शहडोल को दिनांक 4 से 14 जून 2019 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस. कृष्ण चैतन्य, भाप्रसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री एस. कृष्ण चैतन्य, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. कृष्ण चैतन्य, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 31 मई 2019

क्र. ई-5-577-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अशोक शाह, आयएस., तत्कालीन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग (वर्तमान में प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन) को दिनांक 26 अप्रैल से 21 मई 2019 तक, छब्बीस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री अशोक शाह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक शाह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-868-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती सूफिया फारूखी वली, आयएस., प्रबंध संचालक, स्टेट सिविल सप्लाइ कॉर्पोरेशन, भोपाल को दिनांक 10 से 14 जून 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्रीमती सूफिया फारूखी वली, भाप्रसे की अवकाश अवधि में श्री कर्मवीर शर्मा, भाप्रसे, उपसचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, स्टेट सिविल सप्लाइ कॉर्पोरेशन, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सूफिया फारूखी वली को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, स्टेट सिविल सप्लाइ कॉर्पोरेशन, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती सूफिया फारूखी वली, भाप्रसे द्वारा प्रबंध संचालक, स्टेट सिविल सप्लाइ कॉर्पोरेशन, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री कर्मवीर शर्मा, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती सूफिया फारूखी वली को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सूफिया फारूखी वली अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 3 जून 2019

क्र. ई-5-979-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़, आयएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, हरदा को दिनांक 12 से 17 जून 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़ को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, हरदा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़ को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़ अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रश्मि अरूण शर्मा, प्रमुख सचिव "कार्मिक".

भोपाल, दिनांक 4 जून 2019

क्र. ई-5-980-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती नेहा मीना, आयएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत इंदौर को दिनांक 17 से 22 जून 2019 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 एवं 23 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती नेहा मीना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, इंदौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती नेहा मीना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती नेहा मीना अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-1004-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री दीपक सिंह, आयएस., कलेक्टर, जिला धार को समसंख्यक आदेश दिनांक 23 मई 2019 द्वारा दिनांक 31 मई से 7 जून 2019 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 08, 09 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

क्र. ई-5-1119-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अशोक कुमार चौहान, आयएस., अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना को दिनांक 10 से 14 जून 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 08, 09 एवं 15, 16 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार चौहान, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अशोक कुमार चौहान, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक कुमार चौहान, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीप्ति गौड मुकर्जी, प्रमुख सचिव "कार्मिक".

भोपाल, दिनांक 3 जून 2019

क्र. एफ 5-1-2017-एक(1).—उच्च न्यायालय, न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्रीमती अंजुली पालो, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

अ. क्र. (1)	अवकाश अवधि (2)	कुल दिन (3)	अवकाश का प्रकार (4)	अभियुक्ति (5)
01	दिनांक 11 अप्रैल 2019 से दिनांक 12 अप्रैल 2019 तक.	02	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 एवं 14 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

क्र. एफ 5-23-2018-एक(1).—उच्च न्यायालय, न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री हुलुवड़ी जी. रमेश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

अ. क्र. (1)	अवकाश अवधि (2)	कुल दिन (3)	अवकाश का प्रकार (4)	अभियुक्ति (5)
01	दिनांक 30 अप्रैल 2019 से दिनांक 10 मई 2019	11	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीषा सेंटिया, उपसचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जून 2019

क्र. एफ 1(ए) 92-2011-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री के. बी. शर्मा, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 10 से 22 जून 2019 तक कुल तेरह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 08-09 जून 2019 व 23 जून 2019 के विज्ञप्त अवकाश के साथ उक्त अवकाश अवधि में भारत भ्रमण के अन्तर्गत पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश की यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश-नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1.	श्री के. बी. शर्मा	—	स्वयं
2.	श्रीमती सीमा शर्मा	—	पत्नी

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री के. बी. शर्मा, भापुसे, का चालू कार्य श्री मनोज शर्मा, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. बी. शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री के. बी. शर्मा, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री के. बी. शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. बी. शर्मा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए) 125-2011-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री धर्मेन्द्र चौधरी, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक पीटीआरआई. पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 10 से 24 जून 2019 तक कुल पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 08-09 जून 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में भारत भ्रमण के अन्तर्गत इन्दौर, नई दिल्ली बागडोबरा, गंगटोक, पेलिंग, लाचूंग (सिक्किम)

की यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

- | | | | |
|----|-----------------------|---|-------|
| 1. | श्री धर्मेन्द्र चौधरी | — | स्वयं |
| 2. | श्रीमती अलका चौधरी | — | पत्नी |

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री धर्मेन्द्र चौधरी, भापुसे, का चालू कार्य श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक पीटीआरआई. पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री धर्मेन्द्र चौधरी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक पीटीआरआई. पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री धर्मेन्द्र चौधरी, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री धर्मेन्द्र चौधरी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री धर्मेन्द्र चौधरी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए) 389-1988-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री पवन कुमार जैन, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (योजना), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 10 से 14 जून 2019 तक कुल पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 08-09 जून 2019 व 15 जून 2019 के विज्ञप्त अवकाश के साथ उक्त अवकाश अवधि में भारत भ्रमण के अन्तर्गत सिक्किम, गंगटोक की यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

- | | | | |
|----|---------------------|---|--------|
| 1. | श्री पवन कुमार जैन | — | स्वयं |
| 2. | श्रीमती अंजुलि जैन | — | पत्नी |
| 3. | सुश्री गीतांजली जैन | — | पुत्री |

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री पवन कुमार जैन, भापुसे, का चालू कार्य पुलिस महानिरीक्षक योजना पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री पवन कुमार जैन, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक (योजना), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री पवन कुमार जैन, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री पवन कुमार जैन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पवन कुमार जैन, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 7 जून 2019

क्र. एफ-1(ए)-60-2012-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री दीपक वर्मा, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, सागर रेन्ज सागर को दिनांक 17 जून से 12 जुलाई 2019 तक, पच्चीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 15-16 जून 2019 तथा 13-14 जुलाई 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री दीपक वर्मा, भापुसे के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य पुलिस अधीक्षक, सागर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री दीपक वर्मा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, सागर रेन्ज सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री दीपक वर्मा, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री दीपक वर्मा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दीपक वर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 (ए) 148-1995-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे., पुलिस महानिरीक्षक, (रेल) मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 20 से 23 मई 2019 तक, चार दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 18-19 मई 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (रेल) मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे., उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 7 जून 2019

फा. क्र. 17(ई)44-2013-इक्कीस-ब(एक)-2554-19.—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब(1)3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-एक में दिनांक 20 सितम्बर 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 15 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएँ, अर्थात्:—

सारणी

क्रमांक (1)	जिले का नाम (2)	विशेष न्यायाधीश का नाम (3)
“15.	हरदा	श्री संजय कृष्ण जोशी, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, हरदा.”

2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F. No. 17 (E)-44-2013-XXI-B-(One)2554-2019.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the State Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this Department's Notification F-No. B (1) 3476-2013, dated 11th September 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1 dated 20th September 2013, namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial numbers 15 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No. (1)	Name of District (2)	Name & Designation of the Judge (3)
“15	Harda	Shri Sanjay Krishna Joshi, Special Judge, Scheduled Castes and Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Harda.

2. This amendment shall come into force from the date on which the Judge, as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2019

फा. क्र. 2019-इक्कीस-ब(एक) 3196.—राज्य शासन एतद्वारा, जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा 2017 में चयनित अभ्यर्थी श्री संजय अग्रवाल (प्रतीक्षा सूची क्रमांक 02) द्वारा निर्धारित अवधि में पदभार ग्रहण न करने के कारण उनका चयनाधिकार समाप्त के साथ नियुक्ति आदेश क्रमांक 3(ए)-2017-इक्कीस-ब(एक) 82, दिनांक 9 जनवरी 2019 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 मई 2019

क्र. एफ-16-7-2019-ए-ग्यारह.—राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि मध्यप्रदेश के द्रुतगामी औद्योगिकरण के लिये यह आवश्यक है कि बायलर अधिनियम 1923 (1923 का 5) के कतिपय उपबंधों से बायलरों को अपवर्जित किया जाए;

अतएव, बायलर अधिनियम 1923 ((1923 का 5) की धारा 34 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2(2) 1-2001-ए-ग्यारह, दिनांक 6 दिसम्बर 2001 को अतिष्ठित करते हुए, मध्यप्रदेश सरकार, एतद्द्वारा, ऐसे बायलरों को, जो संस्थापित किए गए हैं या जो भविष्य में संस्थापित किए जाएं, निम्नलिखित शर्तों के अधधीन रहते हुए, धारा 8 की उपधारा (3), (4), (5), (6) एवं (7), धारा 10 की उपधारा (1), धारा 14, 15, 16 एवं 22 के उपबंधों के प्रवर्तन से अपवर्जित करती है, अर्थात्:—

1. जब किसी बायलर के उपयोग का प्रमाण-पत्र प्रवृत्त नहीं रह जाता है, तब बायलर का मालिक बायलर का निरीक्षण करने के लिए किसी "बायलर इंजीनियर" को संबद्ध कर सकेगा जो कि विभागीय पोर्टल से नीचे दिए गए अनुसार डिजिटली हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र जारी करेगा एवं बायलर मालिक को और संचालक, बायलर/मुख्य निरीक्षक बायलर को ऑन-लाईन पोर्टल के माध्यम से पृष्ठांकित करेगा.

"बायलर इंजीनियर का वार्षिक प्रमाण-पत्र"

बायलर/इकोनोमाइजर का पंजीयन क्रमांक बायलर का प्रकार बायलर की रेटिंग
निर्माण का वर्ष एवं स्थान अधिकतम
निरंतर वाष्पीकरण

दुरुस्ती के ब्यौरे
दिनांक को किलोग्राम/वर्ग सेन्टीमीटर पर द्रव चालित परीक्षण किया गया.

बायलर मालिक का नाम पता दूरभाष क्र.
मोबाइल नं. ई-मेल का पता

- क. पता जहां बायलर/इकोनोमाइजर स्थापित हैं
- ख. "बायलर इंजीनियर" का नाम पता
दूरभाष क्र. मोबाइल नं. ई-मेल का पता
- ग. "बायलर इंजीनियर" का प्रमाण-पत्र "

मैंने, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक दिनांक के अंतर्गत अपेक्षित किए गए अनुसार बायलर मालिक के निवेदन पर बायलर/इकोनोमाइजर का निरीक्षण दिनांक को किया है और मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि बायलर/इकोनोमाइजर आगामी 12 माह की अवधि के लिए अर्थात् दिनांक से दिनांक तक दाब पर उपयोग के लिए संचालित किए जाने हेतु उपयुक्त है.

बायलर इंजीनियर के हस्ताक्षर

बायलर आपरेशन इंजीनियर का प्रमाण-पत्र क्रमांक

दिनांक :

स्थान :

2. "बायलर इंजीनियर" वह व्यक्ति होगा—

- (1) जो किसी मान्यता प्राप्त संस्था से यांत्रिक या उत्पादन या शक्ति संयंत्र या धातुकर्म इंजीनियरिंग में स्नातक हो;
- (2) बायलर आपरेशन इंजीनियर नियम, 2011 के अधीन अर्ह बायलर आपरेशन इंजीनियर के रूप में प्रवीणता प्रमाण-पत्र धारित करता हो; और
- (3) बायलर से संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव हो.

3. बायलर इंजीनियर विभागीय पोर्टल (WWW.db.mp.gov.in.www.invest.mp.gov.in) या विभाग द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य पोर्टल पर पंजीयन करेगा एवं आगामी प्रक्रियाएं पोर्टल के माध्यम से पूर्ण करेगा.

4. बायलर मालिक द्वारा "बायलर इंजीनियर का वार्षिक प्रमाण-पत्र" निर्दिष्ट पोर्टल के माध्यम से ऑन-लाईन या अभिलेख के प्रयोजन के लिए किसी अन्य तरीके से संचालक बायलर/मुख्य निरीक्षक बायलर को प्रस्तुत किया जाएगा.

5. बायलर के मालिक की यह जिम्मेदारी होगी कि बायलर अधिनियम, 1923 और अधिनियम के अधीन विरचित किए गए विनियमों तथा नियमों के उपबंधों के अनुसार उसे चलाए तथा संधारित करे तथा मालिक उपबंधों के किसी उल्लंघन के लिए भी जिम्मेदार होगा.

6. "बायलर इंजीनियर", बायलर अधिनियम, 1923 तथा उसके अधीन विरचित किए गए नियमों एवं विनियमों के उपबंधों का अनुसरण करेगा तथा उक्त अधिनियम नियमों और विनियमों के उपबंधों के विरुद्ध किए गए किसी कृत्य या चूक के लिए जबावदेह एवं उत्तरदायी होगा.

7. उपयोग किए जा रहे बायलर के निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण हेतु बायलर मालिक या तो इस अधिसूचना के अनुसार "बायलर इंजीनियर" को या भारतीय बायलर विनियम, 1950 के अनुसार "सक्षम व्यक्ति" को संबद्ध कर सकेगा.

8. सेवाओं के लिए देय फीस भारतीय बायलर विनियम, 1950 के विनियम 385 क में उल्लेखित के अनुसार होगी.

F-16-07-2019-A-XXI.—The State Government is satisfied that for the rapid Industrialization of Madhya Pradesh it is necessary to exclude boilers from certain provisions of the Boilers Act, 1923 (No. 5 of 1923);

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 34 of the Boilers Act, 1923 (No. 5 of 1923) and in supersession of this department's Notification No. F 2(2)-1-2001-A-xi, dated 6th December, 2001, the Government of Madhya Pradesh, hereby, excludes boilers which have been installed or which will be installed in future from the operation of the provisions of sub-section (3),(4),(5),(6) and (7) of section 8, sub-section (1) of section 10, section 14,15,16 and 22 subject to the following conditions, namely :—

1. When a certificate for use of boiler ceases to be in force, the owner of the boiler may engage a "Boiler Engineer" for carrying out the inspection of boiler and issue the digitally signed certificate from the departmental portal as given below and would be endorsed to the Owner of the boiler and Director, Boiler/Chief Inspector Boiler through the online portal.

"Annual certificate of Boiler Engineer"

Regitration number of Boiler/Economiser Type of

Boiler..

Boiler Rating.. place and year of manufacture.

Maximum Continuous Evaporation

Details of repairs
 Hydraulically tested on (DD/MM/YYYY).....to.....Kg/Cm²
 Name Address
 Telephone No. Mobile No.
 E-mail address.....of "Boiler Owner"

- A. Address where Boiler/Economiser is installed :
 B. Name.....address.....Telephone No.
 Mobile No.....E-mail address.....of "Boiler Engineer"
 C. Certificate of "Boiler Engineer"

I have inspected the above boiler/economizer on at the request of the boiler owner as required under Notification No..... dated.....of Government of Madhya Pradesh and I hereby certify that the boiler/economizer is fit to operate for use at a pressure of for a further period of 12 months i.e. from

Signature of Boiler Engineer

Certificate number of Boiler Operation Engineer

Date:
 Place:

2. "Boiler Engineer" shall be a person-

- (1) Who is a graduate in Mechanical or Production or Power Plant or Metallurgical Engineering from a recognized institution;
- (2) Holds a certificate of proficiency as Boiler Operation Engineer qualified under 'The Boiler operation Engineer's Rules, 2011; and
- (3) Minimum Five years of experience in the field related to boilers.

3. Boiler Engineer shall register on the department's portal (www.db.mp.gov.in/www.invest.mp.gov.in) or any other portal designated by the department and complete the subsequent processes through the portal.

4. "Annual certificate from Boiler Engineer", shall be submitted by the owner of boiler to the Director Boiler/Chief Inspector Boiler on-line through the designated portal or any other method for the purpose of record.

5. It shall be the responsibility of the owner of boiler to run and maintain it as per the provisions of the Boiler Act, 1923 and regulations and rules framed under the Act and the owner shall also be responsible for any violation of the provisions.

6. The "Boiler Engineer" shall follow the provisions of the Boilers Act, 1923, rules and regulations framed there under and shall be liable and responsible for any act or omission committed against the provisions of the said Act, rules and regulations.

7. Boiler owner can either engage "Boiler Engineer" as per this notification or "competent person" as per Indian Boiler Regulations, 1950 for inspection and certification of boiler in use.

8. The fees payable for the services would be as per the provisions mentioned in regulation 385 A of the Indian Boiler Regulations, 1950.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 व्ही. के. बरोनिया, उपसचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 6 जून 2019

क्र. एफ-3-133-2012-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-133-2013-बत्तीस, दिनांक 28 अक्टूबर 2014 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ग्राम बरखेड़ी खुर्द	22/2, 23, 24, 44, 83/24, 1/2,	कुल रकबा 3.169 हेक्टेयर में से 1.809 हेक्टेयर	निम्न घनत्व आवासीय	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक के अंतर्गत शैक्षणिक.
			योग . 1.809 हेक्टेयर		

1. यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 (3) (क) के अन्तर्गत देय राशि रु. 4,97,475/- (रुपये चार लाख सत्तानवे हजार चार सौ पचहत्तर रुपये मात्र) दिनांक 12 मार्च 2018 को भारतीय स्टेट बैंक, एम. पी. नगर शाखा भोपाल के चालान क्रमांक 5 द्वारा राजकीय कोष में जमा कर दी है.
2. आवेदक को जल-मल निकासी की एवं जल प्रदाय की सम्पूर्ण व्यवस्था करनी होगी.
3. आवेदित भूमि स्थित वृक्षों को यथावत रखना होगा.
4. आवेदक की कुल भूमि 3.619 हेक्टेयर में से उनके द्वारा चिन्हांकित की गई भूमि 1.809 हेक्टेयर पर ही यह सूचना लागू होगी. शेष भूमि का उपयोग निम्न घनत्व आवासीय यथावत रहेगा.
5. उक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 को एकीकृत भाग होगा.

भोपाल, दिनांक 11 जून 2019

क्र. एफ-3-26-2019-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 2800-02-उपां-टी सी-सागर-2016, दिनांक 18 मई 2018 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित सागर

विकास योजना 2031 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (एकड़ में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	तिली माफी	233/2	50.658 एकड़ में से 20.00 एकड़	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	आवासीय (अटल आश्रय योजना).

योग . . 20.00 एकड़

1. नगर तथा ग्राम निवेश से अनुमति के पूर्व न्यूनतम 24.0 मीटर चौड़े मार्ग का निर्माण किया जाना एवं उसकी निरंतरता सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा.
2. उपरोक्त उपांतरण सागर विकास योजना 2031 का एकीकृत भाग होगा.

क्र. एफ-3-43-2016-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 2782-उपां-टी सी-05-मण्डला-05-2016, दिनांक 18 मई 2018 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित मण्डला विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ग्राम सकवासा तहसील मण्डला जिला मण्डला.	150	3.237 हेक्टेयर में से 2.805 हेक्टेयर	कृषि एवं मार्ग	आवासीय एवं मार्ग

योग . . 2.805 हेक्टेयर

1. भूमि आवंटन की शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा.
2. उपरोक्त उपांतरण मण्डला विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

क्र. एफ-3-56-2017-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की

सूचना क्रमांक 289-350-उपां-टी सी-भोपाल 2016, दिनांक 15 जनवरी 2019 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	अचारपुरा	259	8.950 में 0.030 हेक्टेयर	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (शैक्षणिक)
		262	5.760 में से 4.760 हेक्टेयर	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (शैक्षणिक)
		264	2.470 में से 0.540 हेक्टेयर	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (शैक्षणिक)
		267	36.510 में से 6.670 हेक्टेयर	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (शैक्षणिक)

योग . . 12.00 हेक्टेयर

1. ग्राम अचारपुरा का खसरा क्रमांक 260 की नाईयत राजस्व अभिलेख में मार्ग है. मार्ग की चौड़ाई का निर्धारण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 27 के अन्तर्गत आवेदक द्वारा अनुज्ञा हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर किया जायेगा.

2. उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा.

क्र. एफ-3-85-2018-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 1215-उपां-टी सी-20-नीमच-2018, दिनांक 1 मार्च 2018 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित नीमच विकास योजना 2031 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कस्बा नीमच	6, 6ए, 6बी, 29, 40, 44, 24 एवं 30	15.80 हेक्टेयर	प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक.	आवासीय (प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु).

योग . . 15.80 हेक्टेयर

उपरोक्त उपांतरण नीमच विकास योजना 2031 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 जून 2019

सूचना

क्र. एफ. 01-31-2018-सात-शा. 7.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में, इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन सतना जिले में अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेख किये गये अनुसार वर्तमान तहसील रघुराजनगर (नगरीय) एवं तहसील कोठी (रघुराजनगर ग्रामीण) जिला सतना की सीमाओं में परिवर्तन करने, कॉलम (2) में दर्शाई तहसील को कॉलम (3) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है।

2. "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 30 दिन समाप्त होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे :—

अनुसूची

अ. क्र.	प्रस्तावित तहसील	प्रस्तावित तहसील का मुख्यालय	प्रस्तावित तहसील की सीमाएं	परिवर्तन के प्रकार	वर्तमान तहसील
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	रघुराजनगर (नगरीय)	सतना	पूर्व में—तहसील, रामपुर बघेलान एवं तहसील अमर पाटन पश्चिम में—तहसील नागौद उत्तर में—तहसील कोठी (ग्रामीण) दक्षिण में—तहसील उचेहरा	नवीन प्रस्तावित तहसील रघुराजनगर (नगरीय) पटवारी हल्का क्र. 6 से 12, 17 से 34 एवं 57, 60 से 104 कुल 71 पटवारी हल्के एवं कुल ग्राम 209 सम्मिलित होंगे।	रघुराजनगर
2	कोठी (ग्रामीण)	कोठी	पूर्व में—तहसील बिरसिंहपुर पश्चिम में—तहसील नागौद उत्तर में—तहसील मझगवां दक्षिण में—तहसील रघुराजनगर (नगरीय)	तहसील कोठी (ग्रामीण) में पटवारी हल्का क्र. 01 से 05 तक एवं 13 से 16 तक तथा 35 से 56 तक एवं 58, 59 कुल 33 पटवारी हल्के तथा कुल ग्राम 78 सम्मिलित रहेंगे।	रघुराजनगर

3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि जनसाधारण की सुविधा एवं क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 18 जून 2019

क्र. एफ-15-01-2019-सात-शाखा-7.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 108 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्रामों एवं उनके वर्णित नवीन राजस्व ग्रामों (मजरा) के लिये उसके कॉलम (3) में वर्णित अधिकारी द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जाए:—

अनुसूची

जिला एवं तहसील—बुरहानपुर

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का क्रमांक	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)
1	1. मूल ग्राम—ईच्छापुर, प. ह. नं. 40 2. नवीन ग्राम—नागोनी.	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 18 जून 2019

क्र. एफ-15-01-2019-सात-शा-7.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 15-01-2019-सात-शा-7, दिनांक 18 जून 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

Bhopal, the 18th June 2019

No. F-15-01-2019-VII-Sec.-7.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) the State Government hereby, directs that a record of rights shall be prepared for the villages mentioned in column (2) of the Schedule below by the Officer mentioned in column (3) thereof:—

SCHEDULE

District and Tahsil : Burhanpur

S. No.	Name of the Villages (s) with P.C. No.	Designation of the officer authorised to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)
1	1. Original Village-Ichchhapur 2. New Villages-Nagonee P.C. No.-40	Superintendent of Land Records (regular)

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MUJEEBUR REHMAN KHAN, Dy. Secy.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र. क्र. ए-263-

राजगढ़, दिनांक 30 मई 2019

(अंतर्गत धारा - 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना के ग्राम कडलावद तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ कुण्डलिया बांध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम - कडलावद		तहसील - सारंगपुर		जिला - राजगढ़	
स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टर			
		कुल रकबा	अर्जित रकबा		
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बांध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	40.754	14.752		

अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बांध परियोजना में प्रभावित होने से

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा नं.	भूमि का कुल रकबा हे.	पूर्व से भूमि का अर्जित रकबा हे.	पूरक प्रकरण में भूमि का अर्जित रकबा हे.	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3				
1	कृष्णपालसिंह आ गंगाधर जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	464/1/2	0.632	0.500	0.070	0.570
		677 /	0.202	0.000	0.202	0.202
	योग		0.834	0.500	0.272	0.772
2	संतोष सिंह पिता प्रभुनाथसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	272/1	0.154	0.046	0.010	0.056
		272/2	0.076	0.023	0.010	0.033
		272/3	0.468	0.141	0.010	0.151
	योग		0.698	0.210	0.030	0.240
3	श्री राम मंदिर श्री नरसिंह मंदिर पु. भरतदास गुरु महंत व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय जिला राजगढ़	51	1.644	0.000	0.070	0.070
		93	0.772	0.310	0.110	0.420
		103	1.830	1.420	0.290	1.710
		106	2.469	0.000	0.100	0.100
		120/1	0.114	0.080	0.010	0.090
		105	1.354	0.934	0.040	0.974
	योग		8.183	2.744	0.620	3.364
4	सिद्धनाथ एलकारसिंह पिता नंद सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	95/4/1	0.221	0.101	0.120	0.221
	योग		0.221	0.101	0.120	0.221
5	बालूसिंह पिता गेन्दसिंह जाति राजपूत पता	95/4/2	0.347	0.327	0.020	0.347

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा नं.	भूमि का कुल रकबा हे.	पुर्व मे भूमि का अर्जित रकबा हे.	पूरक प्रकरण मे भूमि का अर्जित रकबा हे.	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3				
	निवासी ग्राम भूमि स्वामी	173/2	0.108	0.000	0.108	0.108
		174	0.025	0.000	0.025	0.025
	योग		0.480	0.327	0.153	0.480
6	मनोहरसिंह पिता दुर्जनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	687/1	0.466	0.200	0.266	0.466
	योग		0.466	0.200	0.266	0.466
7	ईश्वरसिंह पिता प्रहलाद सिंह लाडकुंवरबाई बेवा प्रहलाद सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	270/1	0.810	0.610	0.200	0.810
	योग		0.810	0.610	0.200	0.810
8	जगदीश पिता शंकरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	397/1	0.229	0.091	0.138	0.229
		397/2	0.152	0.060	0.092	0.152
		397/3	0.467	0.198	0.269	0.467
		397/4	0.202	0.080	0.122	0.202
	योग		1.050	0.429	0.621	1.050
9	करणसिंह पिता शंकरलाल जाति गुर्जर निवासी तितरी	397/5	0.354	0.147	0.207	0.354
		397/6	0.152	0.060	0.092	0.152
		397/7	0.089	0.035	0.014	0.049
	योग		0.595	0.242	0.313	0.555
10	श्यामसुन्दर पिता बाबुलाल जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	398	1.366	0.014	1.300	1.314
	योग		1.366	0.014	1.300	1.314
11	मनोहरलाल पिता मांगीलाल जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	352/2	0.464	0.200	0.070	0.270
	योग		0.464	0.200	0.070	0.270
12	गंगाराम पिता मांगीलाल, प्रभूलाल, भगवानसिंह, जमनाप्रसाद, सागरप्रसाद, कमलसिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	391/5	0.339	0.000	0.339	0.339
		392/7/5	0.106	0.000	0.106	0.106
	योग		0.445	0.000	0.445	0.445
13	समंदरसिंह पिता प्रतापसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम तीतरी भूमि स्वामी	395/3/2	0.758	0.698	0.060	0.758
	योग		0.758	0.698	0.060	0.758
14	देवसिंह, शैतानबाई, सौरमबाई, नर्मदाबाई पिता समन्दर सिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम तीतरी	400/28	3.794	0.740	0.220	0.960
	योग		3.794	0.740	0.220	0.960
15	देवसिंह पिता मांगू जाति गुर्जर निवासी ग्राम तीतरी भूमि स्वामी	400/29	1.012	0.500	0.512	1.012
	योग		1.012	0.500	0.512	1.012

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा नं.	भूमि का कुल रकबा हे.	पुर्य मे भूमि का अर्जित रकबा हे.	पुरक प्रकरण मे भूमि का अर्जित रकबा हे.	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3				
16	शिवसिंह पिता सजनसिंह जाति राजपुत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	456/16	0.443	0.000	0.443	0.443
	योग		0.443	0.000	0.443	0.443
17	सौरम कुंवर बेवा मनोहरसिंह, कृष्णाकुंवर, प्रकाशकुंवर, गोविन्दकुंवर, मांगूसिंह दीपसिंह पिता मनोहरसिंह जाति राजपुत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	559/2	0.126	0.000	0.126	0.126
	योग		0.126	0.000	0.126	0.126
18	महेन्द्रसिंह पिता रणजीतसिंह नि. आमगाड़ा व भगवानसिंह पिता हनुमतसिंह नि. कलमंडीखुर्द झालावाड़ जाति राजपुत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	563/2	0.253	0.120	0.133	0.253
	योग		0.253	0.120	0.133	0.253
19	देवीसिंह पिता लालसिंह जाति राजपुत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	591/1/2	0.594	0.000	0.070	0.070
	योग		0.594	0.000	0.070	0.070
20	उमरावसिंह पिता उदय सिंह जाति राजपुत पता निवासी ग्राम उज्जैन भूमि स्वामी	591/2/2	0.506	0.020	0.446	0.466
	योग		0.506	0.020	0.446	0.466
21	रमेश कालू पिता लक्ष्मण जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	670	0.228	0.200	0.028	0.228
	योग		0.228	0.200	0.028	0.228
22	भेरूलाल लालसिंह बाबूलाल उदयसिंह पिता देवा जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	671/1	0.335	0.325	0.010	0.335
	योग		0.335	0.325	0.010	0.335
23	लीलाबाई, सौरमबाई, शांताबाई पिता सेवा जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	671/2	0.335	0.325	0.010	0.335
		701/2	0.014	0.000	0.014	0.014
	योग		0.349	0.325	0.024	0.349
24	रतन भेरू संतोष पिता नारायण जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	726/4	0.044	0.011	0.011	0.022
	योग		0.044	0.011	0.011	0.022
25	मोहनलाल पिता रामलाल जाति कलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	786/2	0.272	0.200	0.062	0.262
	योग		0.272	0.200	0.062	0.262
26	भंवरलाल पिता गोवर्धनसिंह जाति राजपुत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	925/1/2	0.974	0.040	0.060	0.100
	योग		0.974	0.040	0.060	0.100
27	सत्यनारायण पिता जगदीश जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	880	0.240	0.220	0.015	0.235
	योग		0.240	0.220	0.015	0.235
28	महेन्द्रसिंह पिता भगवानसिंह जाति राजपुत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	202/1/3	0.127	0.117	0.010	0.127

स.कं.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा नं.	भूमि का कुल रकबा हे.	पुर्व मे भूमि का अर्जित रकबा हे.	पूरक प्रकरण मे भूमि का अर्जित रकबा हे.	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3				
	योग		0.127	0.117	0.010	0.127
29	हरिसिंह विक्रमसिंह पिता पदमसिंह गुलाब बाई बैवा पदमसिंह जाति राजपुत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	269/1	0.493	0.000	0.493	0.493
	योग		0.493	0.000	0.493	0.493
30	मांगीलाल पिता दरियावसिंह जाति लोहार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	279/1	0.306	0.000	0.306	0.306
	योग		0.306	0.000	0.306	0.306
31	बापूलाल पिता दरियावसिंह जाति लोहार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	242/2	0.131	0.000	0.131	0.131
		279/2	0.354	0.000	0.354	0.354
	योग		0.485	0	0.485	0.485
32	भगवानसिंह पिता बापूलाल जाति कलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8/2	0.367	0.000	0.367	0.367
	योग		0.367	0.000	0.367	0.367
33	जगन्नाथ पिता मोती जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	395/6	2.529	0.000	0.640	0.640
	योग		2.529	0.000	0.640	0.640
34	नन्दकिशोर पिता मांगीलाल जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	356	0.999	0.000	0.060	0.060
	योग		0.999	0.000	0.060	0.060
35	मनोहर पिता धुला ना.बा. सरपस्त धुला निवासी ग्राम बिरछाखेडी भूमि स्वामी	456/1	0.114	0.000	0.114	0.114
		456/2	0.089	0.000	0.089	0.089
	योग		0.203	0.000	0.203	0.203
36	अमरा पिता बापूलाल जाति गुर्जर नि0ग्राम तीतरी भूमि स्वामी	400/27	5.072	0.000	1.000	1.000
	योग		5.072	0.000	1.000	1.000
37	राधेश्याम पिता भेरू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	308/2/2/1	0.140	0.000	0.125	0.125
	योग		0.140	0.000	0.125	0.125
38	भेरूलाल पिता रामलाल जाति कलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	857/1	0.193	0.000	0.133	0.133
	योग		0.193	0.000	0.133	0.133
39	रामसिंह पिता शंकरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	389/1/2	0.759	0.000	0.759	0.759
	योग		0.759	0.000	0.759	0.759
40	कमलसिंह पिता दुलसिंह जाति राजपुत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	95/2/1	0.632	0.000	0.632	0.632
	योग		0.632	0.000	0.632	0.632

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा नं.	भूमि का कुल रकबा है.	पुर्व से भूमि का अर्जित रकबा है.	पूरक प्रकरण से भूमि का अर्जित रकबा है.	कुल अर्जित रकबा है.
1	2	3				
41	भगवतसिंह पिता दुलेसिंह जाति राजपुत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	95/2/2	0.633	0.000	0.633	0.633
	योग		0.633	0.000	0.633	0.633
42	लाडकुंवर बाई पति माखनलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	793/2/1	0.399	0.000	0.399	0.399
	योग		0.399	0.000	0.399	0.399
43	मनोजकुमार पिता भैरूलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	793/2/2	0.398	0.000	0.398	0.398
	योग		0.398	0.000	0.398	0.398
44	गंगाराम पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	315/1/1	0.190	0.000	0.190	0.190
	योग		0.190	0.000	0.190	0.190
45	प्रभुलाल पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	315/1/2	0.190	0.000	0.190	0.190
	योग		0.190	0.000	0.190	0.190
46	भगवानसिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	315/1/3	0.190	0.000	0.190	0.190
	योग		0.190	0.000	0.190	0.190
47	जमना प्रसाद पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	315/1/4	0.189	0.000	0.189	0.189
	योग		0.189	0.000	0.189	0.189
48	सागर पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	315/1/5	0.189	0.000	0.189	0.189
	योग		0.189	0.000	0.189	0.189
49	कमल पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	315/1/6	0.189	0.000	0.189	0.189
	योग		0.189	0.000	0.189	0.189
50	श्री राम मंदिर पुजारी गोरवधनलाल पिता देवीलाल व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय जिला राजगढ़	768	0.342	0.000	0.342	0.342
	योग		0.342	0.000	0.342	0.342
महायोग :-			40.754	9.093	14.752	23.845

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी सारंगपुर कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि निवेदिता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना की दांयी तट नहर के निर्माण में ग्राम पिपलबे की भूमि का आपसी सहमति से क्रय करने बाबत विज्ञप्ति जारी करने हेतु भूमि की सूची

स.क्र.	कृषक का नाम	सर्वे न.	रकबा(हेक्टेयर में)
1	2	3	4
1	गीताबाई पति मुकेश जाति हरिजन निवासी ग्राम भूमि स्वामी	12/18/1/4/1	0.052

उपरोक्त क्रय की जाने वाली भूमि संपूर्ण या उसके किसी हिस्सा भाग से किसी भी शासकीय/अर्धशासकीय,व्यक्ति ,वित्तीय संस्था बैंक,सोसाइटी एवं अन्य किसी प्रकार का कोई हित, स्वत्व,संबंध या किसी प्रकार का कोई लेन-देन हो अथवा उक्त संपत्ति कही रहन ,भार,सम्यक,बंधक,दानमेहर में आदि हो तो वही इस सूचना पत्र प्रकाशन की 15 दिवस की अवधि में मय प्रमाण पत्र सहित दस्तावेज मेरे कार्यालय में प्रस्तुत करे ,समयावधि निकल जाने के पश्चात किसी भी प्रकार का दावा,स्वत्व या सम्पत्ति बंधनकारी नहीं होगी ,अधोहस्ताक्षरकर्ता इस सम्पत्ति का विक्रय प्रतिफल राशी अदा कर विक्रय पत्र शासन पक्ष में पंजीयन करवाने के लिये स्वतंत्र होंगे।

निधि निवेदिता, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 14-अ-82-18-19-भू-अर्जन-छिंदी-5125.-

बैतूल, दिनांक 30 मई 2019

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची -1, के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

धजला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	छिंदी	2.187	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई	छिंदी लघु जलाशय (नहर कार्य)

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारकों की सूची)

अ०क्र०	धारक का नाम	खसरा नम्बर	भूमि का रकबा हे० में	अर्जन की भूमि का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	नान्हू बे. जियालाल, पंखुड़िया, मुन्नी, जुरसो, पिता जिलयालाल, उन्नो बे. बिकट, प्रभु छोटे प्रहलाद मुन्नी व. बिकट सरस्वती मुन्नी पिता बिकट रघुवंशी सा.देह.	529/1	1.153	0.101
2	जैराम व. गोलकसिंह सा.देह.	229/3	0.202	0.065
3	सुकरत बे. सूरत, शंकरसिंह जसवंतसिंह व. सूरत, शंकरिया सुकवन्ती पिता सूरत,करणसिंह व. जगतसिंह, गुलमस बे० टंटी कोमल जौ. सुमैरसिंह अमरसिंह सुकलु व० कसन, कल्लु, व० तीरथ, कमली, लज्जा पिता तीरथ झनकलाल व. बदनसिंह, अबलू, रामा लालसिंह ओमप्रकाश व. जगबीर, सरस्वती चंपा सुनिता पिता जगबीर सतरूपा बे. गोरू पार्वती, कृष्णा, कोमल पिता गोरू, भीमराव व. टंटी सा.देह.	229/1	2.131	0.202

4	सकलु व. कसन सा.देह.	229/4	0.301	0.032
5	रघुनंदन सुखनंदन व. उमकी, चम्पा पिता उमकी जाति रघुवंशी सा.देह.	228/1	0.345	0.178
6	धनपाल, मन्नु व. सोमलाल, उन्नतिया पिता सोमलाल, बिल्लो बे. सोमलाल तन्नी बाई बे. रामदयाल, मन्नु व. सोमलाल उकतिया पिता सोमलाल विकतिया बे. सोमलाल धनलाल बे. भददू सा.देह.	227	2.270	0.162
7	रमेश उर्फ रामा व. गोलक सरजो चन्दा पिता गोलक सा.देह.	229/12	0.485	0.057
8	लालसिंह धर्मराजसिंह रमेश व. खड़कसिंह सां. देह.	229/5	0.610	0.113
9	धनपाल मन्नु व. सोमलाल, उन्नतिया पिता सोमलाल, बिकलो बे. सोमलाल धनलाल व. भददू हरचन्द्र व. नत्थु ग्यानी धनलाल व. गोडे तन्नी बाई बें रामदयाल सा.देह.	209	1.019	0.162
10	सोनम ना. बा. पिता दलवीर बली मामा राधेश्याम सा.देह.	210	0.032	0.016
11	हजारीसिंह, गुलजारसिंह जसंतसिंह व. बल्लुसिंह जसवनिया पिता बल्लुसिंह रामभरोसे व. रामदास नन्हु व. रामदास रामकलिया पिता रामदास, सुल्को सुरजू पिता रामदास रतनिया बे.रामदास कैलो बे. मटरू चम्पी पिता मटरू पंजाब व. सुरत मोहनसिंह गोलनसिंह कुसुमलाल रोशनलाल व. मंजरासिंह रमको पिता मंजरासिंह सरबतिया पिता मंजरसिंह रघुवंशी सा.देह.	212	0.081	0.016
12	रामभरोसे व. रामदास रामकलिया सुल्को सुरजू पिता रामदास जसवनिया बे. नन्दकिशोर सुनिल व. नंदकिशोर सरिता रीता पिता नंदकिशोर रघुवंशी सा.देह.	198	0.243	0.08
13	गोलनसिंह व. मंजीरा सा.देह	193/3	0.850	0.105
14	नारायणसिंह महतापसिंह इन्दलसिंह व. यदुसिंह गीता पिता यदुसिंह सा.देह.	192/2	1.315	0.076
15	अवलसिंह, रामकिशोर लालसिंह ओमप्रकाश व. जगवीर चम्पा, सरस्वती पिता जगवीर अवधसिंह रामकिशोर, लालसिंह ओमप्रकाश व जगवीर बुटनीया बे. जगबीरसिंह सा.देह.	118	0.676	0.130
16	धनपाल, मन्नु व. सोमलाल, उन्नतीया पिता सोमलाल, बिल्लो बे. सोमलाल तन्नी बाई बे. रामदयाल, उकतिया पिता सोमलाल विकतिया बे. सोमलाल धनलाल बे. भददू सा. देह.	119	0.567	0.121

17	धनपाल मन्नु व. सोमलाल, उन्नतीया पिता सामलाल, बिकलो बे. सोमलाल, राधेश्याम मधुरसिंह गौतमसिंह राजेशसिंह हरिशंकर गोपालसिंह व रामदयाल तन्नी बाई बे. रामदयाल सोनम ना. बा. पिता दलवीर वली मामा राधेश्याम, महेन्द्र व धनलाल गाड़ो बे. चेनु उर्फ चैनसिंह, भैयालाल उर्फ इन्द्रसिंह नन्हूसिंह अशोक, राजेश उर्फ अज्जू व चैनु उर्फ चैनसिंह इन्द्रा, भूरी पिता चैनु उर्फ चैनसिंह सा.देह.	120	1.74	0.154
18	धनपाल मन्नु व. सोमलाल, उन्नतीया पिता सोमलाल, बिकलो बे. सोमलाल, धनलाल राधेश्याम मधुरसिंह गौतमसिंह राजेशसिंह हरिशंकर गोपाल व रामदयाल तन्नीबाई बे. रामदयाल, सोनम ना. बा. पिता दलवीर वली मामा राधेश्याम सा.देह.	133	0.121	0.073
19	धनलाल व. भददू सा.देह	132	1.052	0.170
20	इमरत व. हरचन्द्र सा.देह	192/1	1.319	0.065
21	गोलनसिंह व. मंजीरा सा.देह	211/1	0.1	0.028
22	रोशनलाल व.मंजरा सा.देह.	211/2	0.074	0.032
23	रघुनंदन, सुखनंदन व. डमकी सा.देह.	217	0.242	0.049
	योग	23	16.928	2.187

- 1- चूँकि छिंदी जलाशय हेतु अनिवार्य भू-अर्जन के लिए ,हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, वांछित उक्त भूमि की अर्जन हेतु सामाजिक समाधान रिपोर्ट के प्रकाशन की कार्यवाही पृथक से की जा रही है।
- 2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
- 4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 39-अ-82-17-18-रम्भाखेड़ी-5170.—

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची- (2) में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमि का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—

अनुसूची- (1)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे० में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल	आमला	रम्भाखेड़ी	0.079	ईटारसी -नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

अनुसूची- (2)

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा हे० में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	दुर्गा, तारा पिता गंगाराम जाति माली सा.देह	136/4	0.664	0.040
2	गुनवंत, पंजू पाण्डूरंग, अजाबराव, फत्या, गुन्ता, शान्ता, मुन्नी पिता फत्या, कौतिका बेवा फत्या जाति माली सा.देह	136/5	0.303	0.021
3	किसन वल्द लक्ष्मण जाति माली सा.देह	136/3	1.011	0.018
योग		03	1.978	0.079

(2) चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 40-अ-82-17-18-केदारखेड़ा-5171.-

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची- (2) में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमि का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-(1)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे० में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल	आमला	केदारखेड़ा	0.033	ईटारसी -नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

अनुसूची- (2)

(प्रभावति धारकों की सूची)

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा हे० में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	भीमराव, माखन, रामदयाल, राजू व. गुदडिया जाति मेहरा सा.देह	35/1	0.075	0.001
2	जागो, कलीराम, बलीराम व. सोनबा जैयवंती, सैयवंती, भागवंती पिता सोनबा जाति मेहरा सा.देह	35/2	0.075	0.025
3	जगदीश, सुखदीन, रामदीन व. गेन्दु, अमरा पिता गेन्दु तुरसी बेवा गेन्दु, झनक, राजु, महेश व. मधु जाति मेहरा सा.देह	36	0.016	0.006
4	संतोष, धनराज व. बाजी जाति गायकी सा.देह	97/1	0.027	0.001
योग		04	0.193	0.033

(2) चूँकि तीसरी रेल्वे लाईन, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 11-अ-82-16-17-मलकापुर-5224.-

बैतूल, दिनांक 31 मई 2019

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची- (2) में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमि का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-(1)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे० में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल	बैतूल	मलकापुर	1.127	ईटारसी -नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

अनुसूची- (2)

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा हे० में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	झीको बेवा नत्थू सुरेश, कमल, रामप्रसाद व. नत्थू उर्मिला व. नत्थू सरिता बेवा जगन्नाथ, जितेन्द्र, छोटू सीमा व. जगन्नाथ ना.बा.बली माँ सरिता निवासी मलकापुर	15/1 103/2	0.629 0.485	0.213 0.151
2	विजय कुमार व. मैकु निवासी मलकापुर	15/2 103/1	0.506 0.486	0.227 0.137
3	चित्रलेखा जौ. कृष्ण कुमार निवासी टिकारी	36	0.522	0.289
4	कमल प्रसाद, रामप्रसाद व. नत्थू निवासी मलकापुर	104	1.236	0.110
योग		04	3.837	1.127

(2) चूंकि मलकापुर तीसरी रेल्वे लाईन, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 0004-अ-82-16-17-उमरीजागीर-5223.-

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची- (2) में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमि का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-(1)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे० में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल	बैतूल	उमरीजागीर	0.209	ईटारसी --नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

अनुसूची- (2)

(प्रभावति धारकों की सूची)

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा हे० में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	शम्भू व. नान्दुराय जाति कुन्बी सा.देह	26	1.238	0.001
2	बाबू , चैतराम व. कुंवरलाल, मैना, शांता पिता कुंवरलाल, बिसराम व. गेंदलाल, मिठठनबाई बेवा, गेंदलाल, पूर्णाबाई बेवा भैयालाल, भीम, प्रमोद व. भैयालाल , रुकमणी, ज्योति पिता भैयालाल जाति कुन्बी सा.देह	27	1.242	0.015
3	सुन्दरलाल व. तेजीलाल सा.देह	28	1.242	0.038
4	लक्ष्मण व. लटक्या निवासी खेड़ली	30/1	0.809	0.155
योग		04	4.531	0.209

(2) चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

प्रकरण क्र. 7-अ-82-16-17-बरसाली-5261.—

बैतूल, दिनांक 1 जून 2019

चुंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी के उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर / ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल	बैतूल	बरसाली	0.087	उप-मुख्य अभियंता मध्य रेलवे अजनी - नागपुर एवं तहसीलदार बैतूल	रेलवे तीसरी लाईन

अनुसूची-1

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे. मे
1	2	3	4	5
1	नवीन, कमलेश व. बाबूलाल, प्रवीण, गजेन्द्र, दिनेश व. बाबूलाल, लक्ष्मी बेबा बाबूलाल निवासी बैतूल	179/1	0.040	0.040
2	सुरपती बाई बेवा चिन्धु, शिवचरण व. चिन्धु, सुगन्ती बाई, पूर्णबाई, रामप्यारी, सुनिता बाई, दानीबाई पिता चिन्धु	179/2	0.955	0.047
योग				0.087

- चुंकि रेलवे तीसरी लाईन हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारंश समिति द्वारा तैयार किया गया है जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।
- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
- समुचित सरकार की वेबसाइट WWW.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

प्रकरण क्र. 14-अ-82-16-17-बदनूरढाना-5259.—

चुंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी के उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर / ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल	बैतूल	बदनूरढाना	0.123	उप-मुख्य अभियंता मध्य रेलवे अजनी - नागपुर एवं तहसीलदार बैतूल	रेलवे तीसरी लाईन

अनुसूची-1

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे. में
1	2	3	4	5
1	भैयालाल व. घासीराम निवासी केलापुर	280	0.004	0.004
2	गीताबाई जौ. कृष्णराव निवासी केलापुर	281/1	0.004	0.002
3	रामरती बाई जौ. नागोराव नागले	281/2	0.004	0.002
4	ओमप्रकाश, विकास, ना. बा. व. बंशीलाल बली माँ राधा विधवा बंशीलाल, लक्ष्मी व. सुखचंद निवासी केलापुर	282	0.012	0.012
5	देवनारायण व. शिवचरण निवासी बडोरा	283/1	0.027	0.021
6	अब्दुल रहमान व. मौलवी अहमद	283/2	0.022	0.014
7	मुन्नी व. महंगीलाल	284/1	0.086	0.068
योग				0.123

- 1 चुंकि रेलवे तीसरी लाईन हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारंश समिति द्वारा तैयार किया गया है जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।
- 2 भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 3 कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
- 4 समुचित सरकार की वेबसाइट WWW.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

प्रकरण क्रमांक 25-अ-82-16-17-परसोड़ी खुर्द-5257

प्रारंभिक अधिसूचना

चुंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी के उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर / ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल	बैतूल	परसोड़ी खुर्द	0.227	उप-मुख्य अभियंता मध्य रेलवे अजनी - नागपुर एवं तहसीलदार बैतूल	रेलवे तीसरी लाईन

अनुसूची-1

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे. मे
1	2	3	4	5
1	सुन्दरलाल व. बुद्ध , राजेश , दीपक, कैलाश व. सुन्दरलाल	2	1.979	0.138
2	सुन्दरलाल व. बुद्ध , राजेश , दीपक, कैलाश व. सुन्दरलाल ना.वा.वली सुन्दरलाल	3	0.089	0.089
योग				0.227

- 1 चुंकि रेलवे तीसरी लाईन हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारंश समिति द्वारा तैयार किया गया है जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट , स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।
- 2 भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 3 कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
- 4 समुचित सरकार की वेबसाइट WWW.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरूण कुमार पिथोड़े, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रा. प्र. क्रमांक 01-अ-82-2018-2019-भू-अर्जन.—

छिन्दवाड़ा, दिनांक 3 जून 2019

म0प्र0 शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत गोरखपुर अजनी जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म0प्र0 शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

—:अनुसूची:—

1. भूमि का वर्णन:—

जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है।
1	2	3	4	5	6	7
छिन्दवाड़ा	मोहखेड	ग्राम-अडवार, प0ह0न0-61 ब0न0-01, रा0नि0म0- इकलबिहरी	मु0 पुना पत्नि स्व0 धन्सू ममतीला, बबीता, सरिता ना0बा0 पुत्रिया धन्सू गणेश ना0बा0 पुत्र धन्सू, पा0मा0 पुना, जगन पुत्र लक्ष्मण जाति पवार	210/2	0.405	गोरखपुर अजनी जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण के हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये।
		कुल योग		1	0.405 हेक्टेयर	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

डॉ. श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पत्र क्रमांक 305-2019

नेपानगर, दिनांक 4 जून 2019

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र.01 में करदली स्टोरेज तालाब (बिना नहर) योजना के अंतर्गत ग्राम करदली, सोंवली तहसील खकनार जिला बुरहानपुर की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है,

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि अधिसूचना में अंतरवलित लोक प्रयोजन की प्रकृति का, योजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश का और धारा 43 के अधिन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के प्रशासक की विशिष्टियों के कथन के आधार पर भी होगा।

निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित योजना हेतु अर्जन किया जाना अनिवार्य है।

ग्राम- करदली, सोंवली

तहसील - खकनार, जिला बुरहानपुर

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	करदली स्टोरेज तालाब (बिना नहर)	12.450	6.590	19.040

अनुसूची (2)

करदली स्टोरेज तालाब (बिना नहर) योजना अंतर्गत ग्राम करदली, सोंवली तहसील खकनार जिला बुरहानपुर की प्रभावित भूमि का विवरण

स.क्र.	भूमि धारक का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित रकबा	असिंचित रकबा	कुल रकबा	सिंचित रकबा	असिंचित रकबा	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ग्राम - करदली								
1	प्रशांत पिता शिव किशोर पता निवासी खकनार भूमि स्वामी	30	4.33	0	4.33	1.55	0	1.55
2	गंगूबाई पति शिवराम पता निवासी खकनारकला भूमि स्वामी	31	2.00	0.22	2.22	0.78	0.22	1.00
3	जानूबाई पति चन्द्रसिंग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	32/3	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.60
4	जानूबाई पति चन्द्रसिंग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	32/4	0.00	0.60	0.60	0.00	0.40	0.40
5	नागजी पिता देवसिंग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	86/1	2.00	0.05	2.05	0.55	0.05	0.60
6	जाला पिता देवसिंग पता निवासी जामुन्या पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	86/2	0	2.04	2.04	0	0.30	0.30
7	देवसिंग पिता भूरा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	86/3	0	2.04	2.04	0	0.20	0.20
8	राजकुमार, दादू, गुजीबाई, फूलवन्तीबाई पिता हिरालाल पता निवासी ग्राम भूमि	87/1	1.95	0	1.95	1.25	0	1.25

स.क्र	भूमि धारक का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित रकबा	असिंचित रकबा	कुल रकबा	सिंचित रकबा	असिंचित रकबा	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	लक्ष्मण पिता बाबू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	87/2	1.90	0.06	1.96	1.19	0.06	1.25
10	शालीकराम पिता बाबू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	87/3	0	2.20	2.20	0	1.60	1.60
11	केन्द्रे वि.पुंज्या, मानिकराम, सुखलाल, बालचन्द, बिसराम, बुलईबाई पिता कालू, हिरा पिता भावल्या, जगनाथ वि. पुंज्या, भीका पिता ढोकल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी मगन, जगन पिता केन्द्रे, पोमाबाई, सुंगधीबाई पुत्री केन्द्रे, जमनाबाई बेवा किसन, सोहनलाल पिता किसन, सकुबाई पुत्री किसन, बुढी पुत्री पुंज्या, जगन्नाथ पिता पुंज्या, मीना पिता ढोकल अ.पा. लक्ष्मीबाई राधाबाई पुत्री ढोकल अ.पा. ढोकल पिता कालू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी अ. लक्ष्मीबाई, राधाबाई, बुडी पुत्री ढोकल अ.रा. ढोकल पिता कालू, छगन पिता केन्द्रे पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	88/1	0	4.76	4.76	0	2.36	2.36
12	कालीबाई बेवा केकडिया राधाबाई पुत्रि केकडिया मांगीलाल गेंदीलाल गोपाल पिता केकडिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	88/2	0	1.20	1.20	0	0.80	0.80
13	काशीराम पिता धन्ना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	89/1	0.83	0	0.83	0.83	0	0.83
14	गेंदीबाई बेवा धन्ना, काशीराम, दशरथ, जगदीश, मगन, छगन पिता धन्ना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	89/2	1.60	0	1.60	1.60	0	1.60
15	काशीराम पिता धन्ना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	89/4	0.40	0	0.40	0.40	0	0.40
16	भोगीलाल पिता कालू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	91/1	1.55	0	1.55	1.00	0	1.00
17	रामभाउ पिता कालू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	91/2	1.55	0	1.55	0.80	0	0.80
18	बाबुलाल पिता कालू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	91/3	1.55	0	1.55	0.50	0	0.50
19	अनारसिंह पिता सीताराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	93/5	1.00	0	1.00	0.40	0	0.40
	योग -		20.660	13.770	34.430	10.850	6.590	17.440

स.क	भूमि धारक का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित रकबा	असिंचित रकबा	कुल रकबा	सिंचित रकबा	असिंचित रकबा	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ग्राम - सावली								
1	सकिना विधवा मोहम्मदखां, अकबर पिता मोहम्मदखां पता निवासी सावली भूमि स्वामी	115	4.92	0.09	5.010	1.60	0	1.600
योग -			4.920	0.090	5.010	1.600	0.000	1.600
महायोग -			25.580	13.860	39.440	12.450	6.590	19.040

नोट- अर्जित की जाने वाली भूमि के रकबे में वृद्धि या कमी हो सकती है।

:- कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक 102-अ-82-17-18-4339.-

सागर, दिनांक 6 जून 2019

कडान मध्यम परियोजनांतर्गत मौजा बेरखेरी सुवंश, बेरखेरी खुर्द, खानपुर पटवारी हल्का नंबर-48 तहसील व जिला सागर स्थित भूमि पर प्रभावित मकान इत्यादि स्थावर परिसंपत्तियों के अर्जन किये जाने हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 24/4/2018 को जारी की गई थी जिसकी दिनांक 23/4/2019 को बारह मास की अवधि पूर्ण हो चुकी है। अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत जहां उपधारा (1) के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहा उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परंतु समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी, यदि उसकी राय में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जो उसे न्यायोचित ठहराती है। इस प्रकरण में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण बारह मास की अवधि के भीतर धारा 19(1) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन तथा घोषणा और सार का प्रकाशन नहीं किया जा सका है जो धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि बढ़ाये जाने हेतु न्यायोचित कारण है। अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

क्रमांक 102-अ-82-17-18-4339.—

मौजा बेरखेरी सुवंश पट.ह.नं.—48 तहसील सागर
मौजा बेरखेरी खुर्द पट.ह.नं.—48 तहसील सागर
मौजा खानपुर पट.ह.नं.—48 तहसील सागर

(देखिये धारा 19 एवं 21)

:: अधिसूचना ::

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15(1) के तहत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों के अर्जन से प्रभावित परिवार का विस्थापन किया जाना भी आवश्यक हो गया है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

- (1) परियोजना का नाम : कड़ान मध्यम परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य
(2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
2. तहसील : सागर
3. ग्राम : बेरखेरी सुवंश, बेरखेरी खुर्द, खानपुर
4. पट.ह.नं.— : 48
5. अर्जित स्थावर परिसंपत्तियों का क्षेत्रफल : 2679.28 वर्गमीटर

सं. क्र.	राजस्व अभिलेख अनुसार भू-धारक का नाम	स्थल जांच अनुसार मकानधारक जिसे प्रभावित मकान की मुआवजा राशि स्वीकृत की जाना है	धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब जिन्हे राशि स्वीकृत की जाना है।	ख. न.	अर्जित संपत्ति का विवरण		
					भवन का प्रकार	लंबाईxचौड़ाई	कुल क्षेत्रफल वर्गमीटर में
1	मध्य प्रदेश शासन आबादी गाँव गौठान	शंकरलाल पिता मधुस सौर	—	1	कच्चा कबेलू	(11.20x6.10)	68.32
			—	1	कच्चा कबेलू	(1.10x1.15)	1.27
2	मध्य प्रदेश शासन आबादी गाँव गौठान	रघुनाथ पिता दमरू सौर	—	1	कच्चा कबेलू	(11.50x6.00)	69.00
3		—	राजकुमार पिता रघुनाथ सौर	1	0	0	0.00
4	मध्य प्रदेश शासन आबादी गाँव गौठान	गुनेश पिता पंचे सौर	—	1	कच्चा कबेलू	(5.40x4.75)	25.65
5		—	मूलचंद पिता हल्ले	1	0	0	0.00
6	मध्य प्रदेश शासन आबादी गाँव गौठान	राजकुमार पिता उत्तम सौर	—	1	कच्चा कबेलू	(4.90x3.50)	17.15
7		—	फूलवती पुत्री राजकुमार	1		0	(6.00x6.75)
8	मध्य प्रदेश शासन आबादी गाँव गौठान	कलू पिता निजाम सौर	—	1	कच्चा कबेलू	(7.30x3.20)	23.26
9		—	तुलसी पिता निजाम	1	0	0	0.00
10	मध्य प्रदेश शासन आबादी गाँव गौठान	मुन्नालाल पिता देवी सौर	—	1	कच्चा कबेलू	(4.80x5.65)	27.12
11		—	रामदास पिता मुन्नालाल	1	0	0	0.00
12		—	नारायण पिता मुन्नालाल	1	0	0	0.00

13	मध्य प्रदेश शासन आबादी गाँव गौठान	टंदू पिता गोकल सौर	—	1	कच्चा कबेलू	(6.20x5.80)	35.96
14	मध्य प्रदेश शासन आबादी गाँव गौठान	मंगल पिता लक्ष्मन सौर	—	1	कच्चा कबेलू	(6.40x7.45)	47.68
15	मध्य प्रदेश शासन आबादी गाँव गौठान	नंदरानी पत्नि लक्ष्मन सौर	—	1	कच्चा कबेलू	(6.95x8.00)	55.60
16	मध्य प्रदेश शासन आबादी गाँव गौठान	माधव पिता कुंदन सौर	—	1	कच्चा कबेलू	(5.60x8.50)	47.50
17	मध्य प्रदेश शासन आबादी गाँव गौठान	कुंदनलाल पिता लक्ष्मन सौर	—	1	टिनशेड	(4.45x4.25)	18.91
18	—	—	दीपाकुमारी पिता कुन्दन	1	0	0	0.00
19	मध्य प्रदेश शासन आबादी गाँव गौठान	रामकिशन पिता जवाहर सौर	—	1	कच्चा कबेलू	(5.20x5.45)	28.34
20	मध्य प्रदेश शासन आबादी गाँव गौठान	धनीराम पिता जवाहर सौर	—	1	कच्चा कबेलू	(4.00x2.50)	10.00
21	मध्य प्रदेश शासन आबादी गाँव गौठान	जवाहर पिता गनू सौर	—	1	कच्चा कबेलू	(6.40x5.60)	35.84
22	मध्य प्रदेश शासन आबादी गाँव गौठान	मोहन पिता गुलई सौर	—	1	कच्चा कबेलू	(7.50x5.30)	39.75
23	—	—	घनश्याम पिता मोहन	1	0	0	0.00
24	—	—	मोतीलाल पिता मोहन	1	0	0	0.00
25	मध्य प्रदेश शासन आबादी गाँव गौठान	संतोष पिता मोहन सौर	—	1	कच्चा कबेलू	(5.80x3.60)	20.88
26	मध्य प्रदेश शासन आबादी गाँव गौठान	बाबू पिता लटोरी सौर	—	1	कच्चा कबेलू	(7.70x5.50)	42.35
27	—	—	हेमराज पिता बाबू	1	0	0	0.00
28	मध्य प्रदेश शासन आबादी गाँव गौठान	परसादी पिता लटोरी सौर	—	1	कच्चा कबेलू	(4.30x3.30)	14.19
29	—	—	कल्याण पिता परसादी	1	0	0	0.00
30	मध्य प्रदेश शासन आबादी गाँव गौठान	गुड्डा पिता उददेत सौर	—	1	कच्चा कबेलू	(4.80x7.20)	34.56
31	—	—	कुदरूलाल पिता गुड्डा	1	0	0	0.00
32	मध्य प्रदेश शासन आबादी गाँव गौठान	बहादुरलाल पिता भागीरथ सौर	—	1	कच्चा कबेलू	(6.65x6.00)	39.90
33	—	—	सोनु पिता बहादुर	1	0	0	0.00
34	मध्य प्रदेश शासन आबादी गाँव गौठान	गोविन्दलाल पिता भागीरथ सौर	—	1	कच्चा कबेलू	(6.10x3.20)	19.52
35	मध्य प्रदेश शासन आबादी गाँव गौठान	शिवराजलाल पिता भागीरथ सौर	—	1	कच्चा कबेलू	(4.60x3.50)	16.10
36	मध्य प्रदेश शासन आबादी गाँव गौठान	भागीरथ पिता गनू सौर	—	1	कच्चा कबेलू	(3.00x8.80)	26.40
37	—	—	भरत पिता भागीरथ	1	0	0	0.00
38	मध्य प्रदेश शासन आबादी गाँव गौठान	हल्ले कुमार पिता मुलू सौर	—	1	कच्चा कबेलू	(4.25x3.00)	12.75
39	मध्य प्रदेश शासन आबादी गाँव गौठान	महरानीबाई पति मुलू सौर	—	1	कच्चा कबेलू	(5.70x6.25)	35.63
40	—	—	रामकिशन पिता मुलू	1	0	0	0.00
41	मध्य प्रदेश शासन आबादी गाँव गौठान	गोदारानी पत्नि राजू सौर	—	1	कच्चा कबेलू	(3.50x3.80)	13.30
42	मध्य प्रदेश शासन आबादी गाँव गौठान	पूरन पिता मथुरा सौर	—	3	कच्चा कबेलू	(5.90x7.00)	41.30
43	—	—	सूरज पिता पूरन	3	0	0	0.00
44	—	—	खिलान पिता पूरन	3	0	0	0.00
45	मध्य प्रदेश शासन आबादी गाँव गौठान	कमल पिता पूरन सौर	—	3	कच्चा कबेलू	(4.60x9.10)	41.86
46	—	—	कोमल पिता पूरन	3	0	0	0.00
47	मध्य प्रदेश शासन आबादी गाँव गौठान	प्रीतम पिता परसूराम सौर	—	3	कच्चा कबेलू	(3.40x2.70)	9.18

48	मध्य प्रदेश शासन आबादी गाँव गौठान	परसु पिता गनु सौर	—	3	कच्चा कबेलू	(6.40x5.70)	36.48
		—	—	3	कच्चा कबेलू	(2.00x5.70)	11.40
49		—	भुवानी पिता परसु	3	0	0	0.00
50	मध्य प्रदेश शासन आबादी गाँव गौठान	बलराम पिता परसु सौर	—	3	कच्चा कबेलू	(5.10x6.40)	32.64
51	मध्य प्रदेश शासन आबादी गाँव गौठान	धनसींग पिता बाबूलाल सौर	—	3	कच्चा कबेलू	(7.10x5.60)	39.76
52		—	प्रदीप पिता बाबूलाल	3	0	0	0.00
53	मध्य प्रदेश शासन आबादी गाँव गौठान	नत्थू पिता हीरालाल सौर	—	3	कच्चा कबेलू	(9.20x4.40)	48.48
		—	—	3	कच्चा कबेलू	(4.20x2.90)	12.18
54		—	पप्पू पिता नत्थू	3	0	0	0.00
55		—	रेवाराम पिता नत्थू	3	0	0	0.00
56		—	लखन पिता नत्थू	3	0	0	0.00
57	मध्य प्रदेश शासन आबादी गाँव गौठान	रामकिशन पिता मथुरा सौर	—	3	कच्चा कबेलू	(17.10x7.70)	131.67
		—	—	3	कच्चा कबेलू	(6.55x2.35)	15.39
58		—	नेतराम पिता रामकिशन	3	0	0	0.00
59		—	नंदलाल पिता रामकिशन	3	0	0	0.00
60	मध्य प्रदेश शासन चरनोई	तुलसीराम पिता मथुराप्रसाद सौर	—	48	कच्चा कबेलू	(10.85x5.40)	58.59
		—	—	48	कच्चा कबेलू	(10.00x3.20)	32.00
		—	—	48	कच्चा कबेलू	(9.00x2.10)	18.90
61		—	नारायण पिता तुलसीराम	48	0	0	0.00
62		हल्काई पिता मथुरा सौर	—	48	कच्चा कबेलू	(8.15x7.25)	59.09
		—	—	48	कच्चा कबेलू	(2.40x5.30)	12.72
63	मध्य प्रदेश शासन चरनोई	—	लीलू पिता हल्काई	48	0	0	0.00
64		—	रामनाथ पिता हल्काई	48	0	0	0.00
65		—	हीरालाल पिता हल्काई	48	0	0	0.00
66		—	रंजीत पिता हल्काई	48	0	0	0.00
67	मध्य प्रदेश शासन आबादी (गाँवठान)	(नथनसींग पिता बलराम ठाकुर	—	53	टिनशेड	(25.20x5.80)	146.16
68		—	अशोक पिता नथनसींग	53	0	0	0.00
69		—	भीकम पिता नथनसींग	53	0	0	0.00
70	मध्य प्रदेश शासन आबादी (गाँवठान)	गोविन्द पिता बलरामसींग	—	53	कच्चा कबेलू	(25.20x5.20)	131.04
71		—	वीरेन्द्र पिता गोविन्दसींग	53	0	0	0.00
72		—	विनीता पिता गोविन्दसींग	53	0	0	0.00
73	मध्य प्रदेश शासन आबादी (गाँवठान)	इमरतसींग पिता बलरामसींग	—	53	कच्चा कबेलू	(8.20x2.40)	19.68
74		—	रानी पिता इमरतसींग	53	0	0	0.00
75		—	भूपेन्द्र पिता इमरतसींग	53	0	0	0.00
76	मध्य प्रदेश शासन आबादी (गाँवठान)	ज्ञानसींग पिता बलरामसिंह	—	53	टिनशेड	(10.60x4.10)	43.46
		—	—	53	कच्चा कबेलू	(10.25x3.10)	31.78
		—	—	53	कच्चा कबेलू	(11.20x9.20)	103.04
		—	—	53	कच्चा कबेलू	(12.80x3.00)	38.40
		—	—	54	टिनशेड	(12.40x7.50)	93.00
77		रमेश पिता परम यादव	—	40	पक्का	(7.70x9.30)	71.61
		—	—	40	टिनशेड	(4.60x3.50)	16.10
		—	—	40	टिनशेड	(3.20x3.90)	12.48
		—	—	40	पक्का	(5.80x4.30)	24.94
78	मध्य प्रदेश शासन चरनोई	—	कछेदी पिता रमेश	40	0	0	0
79		—	मुकेश पिता रमेश	40	0	0	0
80		—	विकाश पिता रमेश	40	0	0	0
81		—	रेखा पिता रमेश	40	0	0	0
82		—	रिंकी पिता रमेश	40	0	0	0
83		—	पिकी पिता रमेश	40	0	0	0

84	मध्य प्रदेश शासन आबादी गाँव गठन	शासकीय भवन सहकारी संथा	—	41	पक्का	(9.80x9.60)	9.81
85	मध्य प्रदेश शासन चरनोई	प्राथमिक शाला भवन	—	46	पक्का	(5.95x3.30)	19.64
			—	46	पक्का	(5.90x9.55)	56.35
			—	46	पक्का	(5.70x2.10)	11.97
ग्राम बेरखेरी खुदा पट्टे नं-48 तहसील सागर							
86	मध्य प्रदेश शासन चरनोई	पूरन पिता लक्षमन सौर	—	37	कच्चा कबेलू	(3.60 x 3.50)	12.60
			—			(3.90 x 3.80)	14.82
87	मध्य प्रदेश शासन चरनोई	जयराम पिता लक्षमन सौर	—	37	पक्का	(6.45 x 4.30)	27.74
88	मध्य प्रदेश शासन चरनोई	फूलसींग पिता पूरन सौर	—	37	कच्चा कबेलू	(6.90 x 3.80)	26.22
89	शासकीय चरनोई	विश्वनाथ पिता लक्षमन यादव	—	42	पक्का	(11.60 x 6.65)	77.14
			—	42	टिनशेड	(6.60x5.60)	36.96
			—	42	टिनशेड	(6.40x5.30)	33.92
			—	42	0	0	0.00
—	—	प्रदीप पिता विश्वनाथ	—	42	0	0	0.00
—	—	प्रमोद पिता विश्वनाथ	—	42	0	0	0.00
ग्राम बेरखेरी खुदा पट्टे नं-48 तहसील सागर							
91	मध्य प्रदेश शासन चरनोई	अमृतलाल पिता नाथूराम	—	71	पक्का	(4.70x4.65)	21.86
			—	71	कच्चा कबेलू	(4.70x4.40)	20.68
			—	71	टिनशेड	(4.15x3.80)	15.77
			—	71	कच्चा कबेलू	(4.70x3.15)	14.81
			—	71	पक्का	(7.65x4.25)	32.51
92	—	सीताराम पिता अमृतलाल	—	71	0	0	0
93	—	कृष्णकुमार पिता अमृतलाल	—	71	0	0	0
94	—	दीपक पिता अमृतलाल	—	71	0	0	0
95	—	संगीता पिता अमृतलाल	—	71	0	0	0
योग-		48	47				2679.28

प्रभावित भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों के अर्जन के कारण विस्थापित परिवारों का मौजा सिलेरा पट.ह.नं.-48 तहसील व जिला सागर की भूमि खसरा नंबर 182 एवं 184 रकवा क्रमशः 1.39, 3.61 हे. कुल रकवा 5.00 हे. पर विस्थापन किया जावेगा तथा कड़ान मध्यम परियोजनांतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम निम्नानुसार है:-

- (1) प्रभावित कुटुंब को प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा।
- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।

- (5) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (7) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
- (8) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (9) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
- (10) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
- (11) जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतों और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें।
- (11.1) युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।
- (11.2) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- (11.3) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (11.4) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (11.5) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (11.6) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- (11.7) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- (11.8) यथेचित पंचायत घर
- (11.9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (11.10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (11.11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (11.12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (11.13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय
- (11.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (11.15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (11.16) बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- (11.17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (11.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (11.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (11.20) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (12) विस्थापित कुटुंबों को 30x30 वर्गफुट का शासकीय आवासीय पट्टा दिया जावेगा।

प्रभावित कुटुंबों द्वारा प्रकरण में अधिनियम 2013 की धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक को प्रभावित मकानों में निवास करने एवं 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के तहत अनुदान सहायता एवं अन्य सहायतायें उपलब्ध कराई जावेगी।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 05.07.2019 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सागर जिला सागर तथा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू., जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्र. क्र. 001-अ-82-2019-20-भू-अर्जन-2019/4978.—

भिण्ड, दिनांक 13 जून 2019

भू अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 (1) एवं 40 (सहपठित भू अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन विकास योजना) नियम 2015 के नियम 10 के अंतर्गत)

जहां सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ (भिण्ड जिला एवं इसके आसपास के क्षेत्र में सतत् एवं उच्च गुणवत्ता की विद्युत प्रदाय करना) के लिये ग्राम मेहदोली प0ह0क0 28 रा0नि0 गोरमी तहसील गोरमी जिला भिण्ड में 132/33 के0च्ची0धि0 उपकेंद्र का निर्माण होना है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :-

स0 क0	सर्वे नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल है0 में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	1842	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.36 है0	श्री लक्ष्मी नारायण, रामस्वरूप पुत्रगण श्री कंचनलाल (समभाग 2/3) श्यामाचरण, मनोज कुमार पुत्रगण रामप्रकाश, मु0 रामबाई बेवा रामप्रकाश (समभाग 1/3) ग्राम मेहदोली -तहसील गोरमी

यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम 2013(2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गई है । भू अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्बों की संख्या निरंक है अतः इनके लिये पुर्नव्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है ।

उक्त भूमि में या उक्त भूमि के किसी भाग में प्रड़े कोयला, लोह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिये भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है ।

कलेक्टर जिला भिण्ड के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मेंहगांव के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।

विशेष:- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की आवश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरांत प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान पृवत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

छोटे सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सक्षम प्राधिकारी, भू-अर्जन एवं पुनर्वास
अनुभाग—मऊगंज, जिला रीवा, मध्यप्रदेश**

मऊगंज, दिनांक 1 जून 2019

प्रारूप—घ
(नियम—6 देखिए)

क्र. 1254-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 746, दिनांक 28 फरवरी 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम-हर्दिहा 1055 तहसील-नईगढ़ी, जिला-रीवा से ग्राम-हर्दिहा 1055, तहसील-नईगढ़ी, जिला रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21 सितम्बर 2018 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चप्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रीवा	नईगढ़ी	ग्राम-हर्दिहा 1055 पटवारी	205/2	0.038
		हल्का मड़ना.	205/3	0.038
			205/6	0.038
			207	0.029
			202	0.026
			195	0.058
			187	0.016
			180	0.078
			173/1	0.015
			174/1	0.020
			174/2	0.020
			170	0.020
			169	0.023

प्रारूप—घ
(नियम—6 देखिए)

क्र. 1255-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 743, दिनांक 28 फरवरी 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम-बेलहा 742 तहसील-नईगढ़ी, जिला-रीवा से ग्राम-बेलहा 742, तहसील-नईगढ़ी, जिला रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21 सितम्बर 2018 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रीवा	नईगढ़ी	ग्राम-बेलहा 742 पटवारी	297	0.029
		हल्का हडिया.	293	0.010
			249	0.061
			260	0.023
			292	0.012
			257	0.002
			290	0.010
			291	0.010
			288	0.027
			287	0.027
			286	0.016
			261	0.014
			259	0.003
			258/1	0.012
			258/2	0.012
			256/1	0.013
			256/2	0.013
			251/1	0.022
			250	0.018
			204/1	0.015
			205/2	0.016
			230	0.025

प्रारूप—घ

(नियम—6 देखिए)

क्र. 1256-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 745, दिनांक 28 फरवरी 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम-डिलहा 395, तहसील-नईगढ़ी, जिला-रीवा से ग्राम-डिलहा 395, तहसील-नईगढ़ी, जिला रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21 सितम्बर 2018 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रीवा	नईगढ़ी	ग्राम-डिलहा 395 पटवारी हल्का खर्वा.	257	0.020
			255	0.036
			249	0.006
			248	0.038
			245/2	0.036

प्रारूप—घ

(नियम—6 देखिए)

क्र. 1257-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 744, दिनांक 28 फरवरी 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम-हडिया 1039 तहसील-नईगढ़ी, जिला-रीवा से ग्राम-हडिया 1039, तहसील-नईगढ़ी, जिला रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21 सितम्बर 2018 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारीस तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चप्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रीवा	नईगढ़ी	ग्राम-हडिया 1039 पटवारी हल्का हडिया.	64/1	0.014
			64/3	0.014
			64/9	0.015
			69/1	0.007
			69/2	0.007
			62/1	0.026
			59/1/ख	0.011
			59/2/1	0.011
			59/2/3	0.011
			59/2/4	0.011
			59/3	0.011
			59/8	0.011

प्रारूप—घ

(नियम—6 देखिए)

क्र. 1258-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 741, दिनांक 28 फरवरी 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम-सोनवर्षा 1017 तहसील-नईगढ़ी, जिला-रीवा से ग्राम-सोनवर्षा 1017, तहसील-नईगढ़ी जिला रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21 सितम्बर 2018 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रीवा	नईगढ़ी	ग्राम-सोनवर्षा 1017 पटवारी हल्का उपरिया, ब्योहरियान.	427	0.002
			428/2	0.014
			423	0.012
			410	0.015
			395	0.022
			425	0.004
			418	0.009
			401	0.012
			480/1	0.028
			480/2	0.012
			411	0.027
			393	0.018
			481	0.019
			483	0.010
			485	0.009
			486/1	0.013
			490/2	0.018
			372/1/1	0.003
			371/1	0.032
371/2/2	0.006			
371/3	0.012			
371/4	0.016			
371/5	0.016			
493/2	0.004			

प्रारूप—घ

(नियम—6 देखिए)

क्र. 1259-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 748, दिनांक 28 फरवरी 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम-मड़ना-812 तहसील-नईगढ़ी, जिला-रीवा से ग्राम-मड़ना-812, तहसील-नईगढ़ी, जिला रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21 सितम्बर 2018 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रीवा	नईगढ़ी	ग्राम-मड़ना-812 पटवारी	1033	0.005
		हल्का मड़ना.	1019	0.053
			1020	0.004
			1021/2	0.074
			1028/2	0.005
			1022/2	0.004

प्रारूप—घ

(नियम—6 देखिए)

क्र. 1260-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 742, दिनांक 28 फरवरी 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम-भटिगवां 770, तहसील-नईगढ़ी, जिला-रीवा से ग्राम-भटिगवां 770, तहसील-नईगढ़ी, जिला रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21 सितम्बर 2018 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रीवा	नईगढ़ी	ग्राम-भटिगवां 770, पटवारी	98	0.016
		हल्का उमरिया ब्योहरियान.	97	0.008
			96	0.007
			100/1	0.010
			100/2/1	0.010

प्रारूप—घ

(नियम—6 देखिए)

क्र. 1261-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 900, दिनांक 23 मार्च 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम-मलैगवां-823, तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा से ग्राम-मलैगवां-823, तहसील-मऊगंज, जिला रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रीवा	मऊगंज	मलैगवां-823, पटवारी	100/2	0.005
		हल्का 13 डिघवार, रा.नि.मं.	100/3/1	0.007
		देवतालाब.	100/3/2	0.007
			79/1	0.199
			78	0.015
			77	0.013
			76/2	0.008
			75	0.009
			72/1/1	0.064
			10	0.048
			9	0.005
			11	0.022
			12	0.052
			13/1	0.003

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			14/1	0.050
			87	0.023
			86/1/2	0.014
			86/2	0.024
			84/2/1	0.024
			83/2	0.030
			15	0.006
			96/2	0.009
			91	0.013

प्रारूप—घ

(नियम—6 देखिए)

क्र. 1262-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 946, दिनांक 1 अप्रैल 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम-जगदर 212, तहसील-रायपुर कर्चुलियान, जिला-रीवा से ग्राम-जगदर 212, तहसील-रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	जगदर 212, पटवारी हल्का 23 हिनौती.	34/1	0.009
			33/1	0.006
			33/2	0.006
			30/1	0.006
			29	0.029
			28	0.002
			16/1	0.002
			16/2	0.002
			15/1/1	0.004
			15/1/2	0.004
			15/2	0.009
			17	0.004
			18	0.001
			24	0.011
			19	0.002
			20	0.011

प्रारूप—घ

(नियम—6 देखिए)

क्र. 1263-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 945, दिनांक 1 अप्रैल 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम-पलहा 353, तहसील-रायपुर कर्चुलियान, जिला-रीवा से ग्राम-पलहा 353, तहसील-रायपुर कर्चुलियान, जिला-रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	पलहा 353, पटवारी हल्का 24 हटवा.	64	0.004
			76	0.001
			74	0.003
			73	0.005

प्रारूप—घ

(नियम—6 देखिए)

क्र. 1264-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 944, दिनांक 1 अप्रैल 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम-वरयाँ टोला 419, तहसील-रायपुर कर्चुलियान, जिला-रीवा से ग्राम-वरयाँ टोला 419, तहसील-रायपुर कर्चुलियान, जिला-रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	वरयाँ टोला 419, पटवारी हल्का 23 हिनौती.	75	0.002
			76	0.009
			77	0.002

प्रारूप—घ

(नियम—6 देखिए)

क्र. 1265-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 947, दिनांक 1 अप्रैल 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम-हिनौती 637, तहसील-रायपुर कर्चुलियान, जिला-रीवा से ग्राम-हिनौती 637, तहसील-रायपुर कर्चुलियान, जिला-रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	हिनौती 637, पटवारी हल्का 23 हिनौती.	433	0.001
			434	0.007
			435	0.002
			436	0.002
			437/1	0.006
			437/2	0.007
			441	0.001
			438	0.003
			440	0.002
			446/1	0.001
			447	0.007
			448	0.001

प्रारूप—घ

(नियम—6 देखिए)

क्र. 1266-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 943, दिनांक 1 अप्रैल 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी

सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम-डाढ़ 233, तहसील-रायपुर कर्चुलियान, जिला-रीवा से ग्राम-डाढ़ 233, तहसील-रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	डाढ़ 233, पटवारी हल्का 23 हिनौती.	28/1	0.002
			24	0.004
			25	0.007
			26	0.002
			19	0.004
			18/2	0.002
			17	0.001
			16	0.008
			15	0.001
			3	0.013
			2	0.001
			1	0.021

प्रारूप—घ

(नियम—6 देखिए)

क्र. 1269-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 747, दिनांक 28 फरवरी 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम-खर्वा 180, तहसील-नईगढ़ी, जिला-रीवा से ग्राम-खर्वा 180, तहसील-नईगढ़ी, जिला रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21 सितम्बर 2018 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रीवा	नईगढ़ी	ग्राम-खर्वा 180, पटवारी हल्का खर्वा.	14/1	0.016
			14/2	0.016

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			7	0.004
			6/5	0.018

प्रारूप—घ
(नियम—6 देखिए)

क्र. 1267-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 904, दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम-झलवार 360, तहसील-मरुगंज, जिला-रीवा से ग्राम-झलवार 360, तहसील-मरुगंज, जिला रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रीवा	मरुगंज	झलवार 360, पटवारी हल्का 12, झलवार.	793/1/क	0.006
			793/1/ख	0.011
			794	0.013
			795	0.014
			1024	0.014
			1091/2/2/1023	0.006
			1090/2/1023/2	0.006
			1023/1	0.008
			1034	0.006
			1035/3	0.015
			1016/5	0.001
			1016/6	0.008
			1013/1/ख	0.001
			1013/1/ग	0.001
			1013/2/क	0.006
			1013/2/ख	0.006
			1013/2/ग/1	0.004
			1013/2घ	0.003
			1011/2	0.016
			1012	0.004
			1025	0.004

प्रारूप—घ

(नियम—6 देखिए)

क्र. 1268-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 840, दिनांक 23 मार्च 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम-पनिगवां 587, तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा से ग्राम-पनिगवां 587, तहसील-मऊगंज, जिला रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रीवा	मऊगंज	पनिगवां 587, पटवारी हल्का 13 डिघवार.	70/1	0.037
			85/1/ख	0.016
			85/2/क	0.016
			85/2/ख/1	0.014
			85/2/ग/2	0.009
			85/2/ग/3	0.002
			85/2/ग/4	0.003
			85/2/घ/1	0.007
			85/2/घ/2	0.007
			98/1	0.010
			98/2	0.010
			93/1	0.019

प्रारूप—ख

[नियम—5 का उपनियम (2) देखिए]

क्र. 1270-भू-अर्जन-कार्य-2019.—अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा:—

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मोलैया-880, पटवारी हल्का 15 रजिगवाँ,	68	0.372	0.005
2	रा.नि.मं. देवतालाब, तहसील-मऊगंज	69 शा. नं. 70	0.336	0.005
3		70 शा. नं. 69 में	0.000	0.004
4		67	0.125	0.005
5		65/1	0.089	0.003
6		65/2	0.101	
7		64/1	0.187	0.004
8		64/2	0.072	
9		62/1	0.045	0.004
10		62/2	0.052	
11		61/1	0.057	
12		61/2	0.057	
13		61/3/क	0.028	0.001
14		61/3/ख	0.028	
15		61/4	0.012	
16		60/1	0.227	0.008
17		60/2	0.227	
18		59	0.174	0.005
19		58/1	0.186	
20		58/2	0.324	
21		58/3/क	0.089	
22		58/3/ख	0.089	0.011
23		58/4	0.182	
24		58/5	0.170	
25		58/6	0.522	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग . .	25 किता	3.751	0.055
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग . .		0.000	0.000
	अ + ब का योग . .	कुल 25 किता	3.751	0.055

प्रारूप—ख

[नियम—5 का उपनियम (2) देखिए]

क्र. 1271-भू-अर्जन-कार्य-2019.—अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा:—

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	शिवपुर-969, पटवारी हल्का 15 रजिगवाँ,	1/1/क	0.013	
2	रा.नि.मं. देवतालाब, तहसील-मऊगंज.	1/1/ख	0.981	
3		1/1/ग	0.981	
4		1/1/घ	0.162	
5		1/2	0.146	
6		1/3/क	0.202	0.004
7		1/3/ख	0.202	
8		1/3/ग	0.202	
9		1/3/घ	0.203	
10		4	0.206	0.003
11		5/1	0.085	
12		5/2	0.073	
13		5/3	0.073	0.005
14		5/4	0.073	
15		6	0.506	0.007
16		10	0.283	0.004
17		133	0.332	0.001
18		132	0.385	0.008
19		158	0.753	0.008
20		161/1	0.061	
21		161/2	0.016	0.002
22		160/1/क	0.048	
23		160/1/ख	0.065	0.005
24		160/2/क	0.008	
25		160/2/ख	0.028	
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग . .		25 किता	6.087	0.047
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग . .			0.000	0.000
अ + ब का योग . .		कुल 25 किता	6.087	0.047

प्रारूप—ख

[नियम—5 का उपनियम (2) देखिए]

क्र. 1272-भू-अर्जन-कार्य-2019.—अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा:—

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	शिवपुर चक 970, पटवारी हल्का 15 रजिगवाँ,	31	0.587	0.005
2	रा.नि.मं. देवतालाब, तहसील-मऊगंज.	35 शा. नं. 34 में	0.000	0.003
3		36	0.308	0.006
4		38	0.158	0.005
5		39	0.036	0.001
6		48/1	0.032	0.002
7		48/2	0.040	0.002
8		66/53	0.032	0.002
9		54	0.012	0.002
10		52	0.138	0.003
11		57 शा. नं. 55 में	0.000	0.003
11		58 शा. नं. 55 में	0.000	0.001
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग . .	12 किता	1.343	0.033
1		33	0.101	0.001
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	1 किता	0.101	0.001
	अ + ब का योग . .	कुल 13 किता	1.444	0.034

प्रारूप—ख

[नियम—5 का उपनियम (2) देखिए]

क्र. 1273-भू-अर्जन-कार्य-2019.—अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा:—

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	अनुसूची		
		खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	उमरीपण्डितपुरवा 644 पटवारी हल्का 15	58/1	0.202	0.008
2	रजिगवाँ, रा.नि.मं. देवतालाब, तहसील-मऊगंज.	58/2	0.016	
3		54	0.210	0.005
4		55	0.016	0.001
5		56 शा. नं. 57	0.372	0.004
6		57 शा. ख. नं. 56 में.	0.000	0.001
7		63	0.704	0.001
8		62	0.089	0.002
9		61/1	0.012	0.001
10		61/2	0.012	
11		64/1	0.113	0.008
12		64/2	0.341	
13		65	0.490	0.004
14		66/1	0.125	
15		66/2	0.121	
16		66/3	0.283	0.005
17		66/4	0.125	
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग . .		17 किता	3.231	0.040
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग . .			0.000	0.000
अ + ब का योग . .		कुल 17 किता	3.231	0.040

प्रारूप—ख

[नियम—5 का उपनियम (2) देखिए]

क्र. 1274-भू-अर्जन-कार्य-2019.—अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा:—

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	बेलहाई कला 748 पटवारी हल्का 17 रजिगवाँ,	145	0.922	0.010
2	रा.नि.मं. देवतालाब, तहसील-मऊगंज.	148/1	0.129	
3		148/2	0.045	
4		148/3	0.045	0.004
5		148/4	0.020	
6		148/5	0.020	
7		149	0.101	0.004
8		178/1	0.085	
9		178/2	0.028	
10		178/3	0.028	
11		178/4	0.028	
12		178/5	0.174	0.009
13		178/6	0.081	
14		178/7	0.045	
15		178/8	0.024	
16		178/9	0.020	
17		179/71	0.061	
18		153	0.121	0.004
19		156/1	0.210	
20		156/2	0.069	0.009
21		156/3	0.069	
22		156/4	0.069	
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग . .		22 किता	2.394	0.040
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग . .			0.000	0.000
अ + ब का योग . .		कुल 22 किता	2.394	0.040

प्रारूप—ख

(नियम—5 का उपनियम (2) देखिए)

क्र. 1275-भू-अर्जन-कार्य-2019.—अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के

संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा:—

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	उमरी 75 पटवारी हल्का 17 सूजी,	121/1	0.025	
2	रा.नि.मं. सीतापुर, तहसील-मऊगंज.	121/2	0.012	
3		121/3	0.008	0.002
4		121/4	0.004	
5		123/1	0.575	
6		123/2	0.190	
7		123/3	0.194	
8		123/4	0.194	0.015
9		123/5	0.575	
10		123/6	0.292	
11		123/7	0.287	
12		196	0.024	0.001
13		194	0.040	0.001
14		193/1	0.018	
15		193/2/1	0.101	
16		193/2/2	0.101	
17		193/3	0.015	0.007
18		193/4	0.123	
19		193/5	0.067	
20		193/6	0.203	
21		192/1	0.373	0.007
22		192/2	0.372	
23		189	0.688	0.007
24		187/1	0.763	
25		187/2	0.254	0.012
26		187/3	0.124	
27		187/4	0.182	
28		184	0.150	0.002
29		183/1	0.077	
30		183/2	0.036	0.007
31		183/3	0.028	
32		183/4	0.061	
33		182/1	0.166	
34		182/2	0.020	0.002
35		177	0.255	0.004
36		178	0.324	0.007

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
37		179/1	0.198	
38		179/2	0.032	
39		179/3	0.032	
40		179/4	0.036	0.004
41		179/5	0.032	
42		179/6	0.032	
43		179/7	0.036	
44		240	0.093	0.002
45		241	0.275	0.002
46		239	0.522	0.010
47		237/1	0.162	0.003
48		237/2	0.162	
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग . .		48 किता	8.533	0.095
1		106	1.153	0.016
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग . .		1 किता	1.153	0.016
अ +ब का योग . .		कुल 49 किता	9.686	0.111

प्रारूप—ख

[नियम—5 का उपनियम (2) देखिए]

क्र. 1276-भू-अर्जन-कार्य-2019.—अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा:—

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	झलवार-360, पटवारी हल्का 12, झलवार,	794	0.930	0.012
2	रा.नि.मं. देवतालाब, तहसील-मऊगंज.	795	0.930	0.005
3		792/1	0.542	0.003
4		792/2	0.053	
5		798/1	0.183	
6		798/2	0.179	0.009
7		798/3	0.185	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8		1083/803	0.360	0.010
9		1084/1/807	0.097	0.004
10		1084/2/807	0.356	
11		807/1	0.429	0.004
12		807/2	0.097	
13		808/1	0.166	0.004
14		808/2	0.077	
15		808/2/1	0.089	
16		812/1	0.295	0.005
17		812/2	0.065	
18		814	0.717	0.009
19		815/1	0.166	0.004
20		815/2	0.085	
21		816/1	1.072	
22		816/2/1	0.129	0.016
23		816/2/2	0.126	
24		818	0.364	0.011
25		819	0.134	0.005
26		820/1	0.624	0.019
27		820/2	0.821	
28		764	0.567	0.008
29		763	0.113	0.004
30		762/1/क/1	0.109	
31		762/1/क/2	0.109	
32		762/1/ख	0.316	0.017
33		762/2/1	0.065	
34		762/2/2	0.060	
35		831/1/1	0.255	
36		831/1/2	0.129	0.010
37		831/2	0.384	
38		1088/880	0.567	0.007
39		879	0.113	0.005
40		878/1	0.223	0.016
41		878/2	0.202	
42		877	0.020	0.001
43		873/1	1.234	0.021
44		873/2	1.234	
45		871	0.798	0.020
46		870/1	0.166	
47		870/2	0.604	0.020
48		870/3	0.036	
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग . .		48 कित्ता	16.575	0.249
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग . .			0.000	0.000
अ + ब का योग . .		कुल 48 कित्ता	16.575	0.249

प्रारूप—ख

[नियम—5 का उपनियम (2) देखिए]

क्र. 1277-भू-अर्जन-कार्य-2019.—अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रायपुर कर्चुलियान जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा:—

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	रमपुरवा 545, पटवारी हल्का 24 हटवा,	82/1	0.232	0.005
2	रा.नि.मं. मनिकवार, तहसील-रायपुर	83/4	0.211	0.007
3	कुर्चिलियान.	83/3	0.210	0.007
4		220/1	0.232	0.008
5		219	0.093	0.006
6		218/2	0.084	0.001
7		222	0.368	0.012
8		214	0.113	0.004
9		215	1.651	0.022
10		213	0.902	0.011
11		212/1	0.088	0.007
12		212/2	0.317	
13		202	0.150	0.010
14		201	0.291	0.006
15		195	0.186	0.008
16		248	0.073	0.004
17		249/1	0.012	
18		249/2	0.012	
19		249/3	0.016	0.010
20		250/1	0.649	
21		250/2	0.028	
22		250/3	0.028	
23		250/4	0.024	
24		162	0.494	0.008
25		161	0.696	0.004
26		160	0.036	0.001

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
27	रमपुरा 545, पटवारी हल्का 24 हटवा,	257/1	0.218	0.007
28	रा.नि.मं. मनिकवार, तहसील-रायपुर	257/2	0.222	0.001
29	कुर्चलियान.	262/2	0.141	0.004
30		262/3	0.163	0.005
31		261	0.138	0.002
32		260/1/1	0.220	0.002
33		260/1/3	0.221	0.004
34		260/1/2	0.227	0.004
35		267	1.250	0.015
36		268	0.174	0.003
37		269	0.368	0.002
38		287/1	0.296	0.003
39		287/2	0.344	0.010
40		286	0.121	0.002
41		283/1	0.270	0.001
42		283/2	0.269	
43		285	0.267	0.009
44		243	1.076	0.013
45		244	2.935	0.026
46		245	0.421	0.002
47		328/1	0.607	0.008
48		328/2	0.360	0.003
49		331	0.717	0.002
50		330	0.526	0.008
51		386/1	1.579	
52		386/2	0.028	
53		386/3	0.608	0.007
54		386/4	0.117	
55		386/5	0.013	
56		247	0.688	0.013
57		163	0.279	0.003
58		164	0.239	0.009
59		166	0.028	0.001
60		167/1	0.531	0.009
61		168/1	0.150	0.001
62		168/2	0.149	
63		150	0.223	0.008
64		145	0.368	0.002
65		137/1	0.112	0.008
66		137/2	0.081	
67		137/3	0.073	
68		137/4	0.073	
69		137/5	0.112	
70		137/6	0.112	
71		137/7	0.112	
72		137/8	0.335	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
73		141/2	0.182	0.006
74		141/3	0.183	0.003
75		141/1	0.138	0.003
76		142/2	0.029	0.001
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग . .		76 किता	25.265	0.351
1		246	0.364	0.005
2		251	0.316	0.003
3		262/4	0.016	0.001
4		260/2	0.016	0.001
5		372	1.068	0.002
6		388	1.153	0.003
7		159	0.368	0.003
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग . .		7 किता	3.301	0.018
अ + ब का योग . .		कुल 83 किता	28.566	0.369

प्रारूप—ख

(नियम—5 का उपनियम (2) देखिए)

क्र. 1278-भू-अर्जन-कार्य-2019.—अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रायपुर कर्चुलियान, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा:—

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	हटवा 628, पटवारी हल्का 24 हटवा,	620	0.020	0.002
2	रा.नि.मं. मनिकवार, तहसील-रायपुर	619	0.117	0.002
3	कर्चुलियान.	615	0.057	0.002
4		616	0.085	0.004
5		612	0.093	0.002
6		611	0.085	0.002
7		610	0.227	0.006
8		607	0.251	0.004
9		605	0.170	0.001
10		604	0.057	0.005
11		603	0.036	0.001
12		536	0.057	0.004
13		535	0.036	0.002

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14		534	0.024	0.002
15		533	0.073	0.002
16		528	0.057	0.001
17		531	0.040	0.002
18		529	0.036	0.003
19		525	0.146	0.005
20		524	0.045	0.002
21		523	0.547	0.001
22		270	1.194	0.007
23		271	0.109	0.001
24		273	0.615	0.011
25		274	0.045	0.001
26		276	0.761	0.010
27		275	0.178	0.002
28		277	0.073	0.001
29		278	0.202	0.003
30		279	0.166	0.005
31		280	0.247	0.002
32		292	0.142	0.006
33		293	0.053	0.004
34		295	0.251	0.004
35		318	0.210	0.004
36		319	0.348	0.003
37		136	0.000	
38		136/1	0.024	
39		136/2	0.024	
40		136/3	0.024	0.005
41		136/4	0.024	
42		135/1	0.361	
43		135/2	0.250	0.008
44		135/3	0.246	
45		135/4	0.320	
46		132	0.190	0.004
47		129/1	0.202	0.004
48		129/2	0.304	
49		130/1	0.279	0.008
50		130/2	0.109	
51		98/1	0.057	0.001
52		98/2	0.028	
53		97	1.967	0.013
54		329	0.053	0.001
55		330	0.417	0.001
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग . .		55 किता	11.732	0.164
1		281	0.113	0.006
2		331	0.121	0.005
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग . .		2 किता	0.234	0.011
अ + ब का योग . .		कुल 57 किता	11.966	0.175

प्रारूप—ख

[नियम—5 का उपनियम (2) देखिए]

क्र. 1279-भू-अर्जन-कार्य-2019.—अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रायपुर कुर्चलियान, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा:—

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	धर्मपुरा 294, पटवारी हल्का 23 हिनौती,	3/1	0.040	
2	रा.नि.मं. मनिकवार, तहसील-रायपुर	3/2	1.705	0.008
3	कुर्चलियान.	3/3	0.040	
4		4	0.166	0.006
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग . .	4 किता	1.951	0.014
1		5	0.166	0.001
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	1 किता	0.166	0.001
	अ + ब का योग . .	कुल 5 किता	2.117	0.015

प्रारूप—ख

[नियम—5 का उपनियम (2) देखिए]

क्र. 1280-भू-अर्जन-कार्य-2019.—अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के

संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रायपुर कर्चुलियान, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा:—

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	वरयाँ टोला 419, पटवारी हल्का 23 हिनौती,	77	0.959	0.011
2	रा.नि.मं. मनिकवार,	79	0.040	0.001
3	तहसील-रायपुर, कुर्चलियान.	80	1.356	0.008
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग . .		3 किता	2.355	0.020
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग . .			0.000	0.000
अ +ब का योग . .		कुल 3 किता	2.355	0.020

प्रारूप—ख

(नियम—5 का उपनियम (2) देखिए)

क्र. 1281-भू-अर्जन-कार्य-2019.—अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रायपुर कर्चुलियान, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा:—

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	हिनौती 637, पटवारी हल्का 23 हिनौती,	463	0.999	0.015
2	रा.नि.मं. मनिकवार, तहसील-रायपुर,	468	0.862	0.011
3	कुर्चलियान.	467	0.040	0.002
4		465	0.178	0.002
5		469/1	2.253	0.015
6		469/2	0.405	
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग . .		6 किता	4.737	0.045
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग . .			0.000	0.000
अ +ब का योग . .		कुल 6 किता	4.737	0.045

प्रारूप—ख

(नियम—5 का उपनियम (2) देखिए)

क्र. 1282-भू-अर्जन-कार्य-2019.—अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रायपुर कुर्चलियान, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा:—

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	डाढ़ 233 पटवारी हल्का 23 हिनौती,	156	0.182	0.015
2	रा.नि.मं. मनिकवार, तहसील-रायपुर,	155	0.930	0.011
3	कुर्चलियान.	151/1	0.559	0.005
4		151/2	0.089	
5		159/1	0.878	
6		159/2	2.210	
7		159/3	3.318	0.034
8		159/4	2.214	
9		159/5	2.213	
10		159/6	0.874	
11		159/7	0.874	
12		159/8	0.878	
13		159/9	0.065	
14		160/1	0.060	
15		160/2	0.065	0.001
16		160/3	0.065	
17		170/1	1.437	
18		170/2	0.575	0.010
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग . .		18 किता	17.486	0.076
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग . .			0.000	0.000
अ + ब का योग . .		कुल 18 किता	17.486	0.076

प्रारूप—ख

(नियम—5 का उपनियम (2) देखिए)

क्र. 1283-भू-अर्जन-कार्य-2019.—अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-नईगढ़ी, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा:—

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	भिटवा 767, पटवारी हल्का 12, कशियारगांव,	66	0.841	0.044
2	रा.नि.मं. रामपुर, तहसील-नईगढ़ी.	65	0.510	0.012
3		64	0.793	0.055
4		63	0.959	0.011
5		62	0.619	0.015
6		236/45	1.659	0.085
7		61	0.210	0.009
8		60	1.145	0.001
9		46	2.355	0.021
10		237/46	0.142	0.011
11		240/46	0.372	0.027
12		239/46	0.073	0.008
13		47	0.190	0.014
14		238/46	1.133	0.050
15		230/42	0.081	0.005
16		42	1.862	0.044
17		231/42	1.052	0.011
18		41/1	0.121	0.010
19		41/2	0.166	
20		41/3	0.166	
21		41/4	0.166	
22		41/5	0.166	
23		41/6	0.166	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
24		41/7	0.012	
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग . .		24 किता	14.959	0.433
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग . .			0.000	0.000
अ + ब का योग . .		कुल 24 किता	14.959	0.433

प्रारूप—ख

[नियम—5 का उपनियम (2) देखिए]

क्र. 1284-भू-अर्जन-कार्य-2019.—अतएव, राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-सिरसौर, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा:—

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	भटवा 411, पटवारी हल्का 41, मदरी,	186/1	0.243	0.001
2	रा.नि.मं. लालगांव, तहसील-सिरसौर.	186/2	0.243	
3		188/1	0.432	0.040
4		188/2	0.405	
5		187/1	0.405	0.048
6		187/2	0.529	
7		98	0.138	0.023
8		97	0.271	0.018
9		95	0.036	0.010
10		94	0.113	0.018
11		75	0.109	0.018
12		79	0.065	0.022
13		78	0.134	0.018
14		80/1	0.176	
15		80/2	0.162	0.008
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग . .		15 किता	3.461	0.224
1		88	0.543	0.005
2		96	0.304	0.003
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग . .		2 किता	0.847	0.008
अ + ब का योग . .		कुल 17 किता	4.308	0.232

प्रारूप—ख

[नियम—5 का उपनियम (2) देखिए]

क्र. 1285-भू-अर्जन-कार्य-2019.—अतएव, राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो सि अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-सिरमौर, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा:—

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	कैथा 76, पटवारी हल्का 37, पताई,	219/1	1.109	0.070
2	रा.नि.मं. लालगांव, तहसील-सिरमौर.	219/2	1.109	
3		222	1.100	0.071
4		224	0.987	0.002
5		223/1	0.425	
6		223/2	0.210	0.040
7		223/3	0.214	
8		228	1.189	0.009
9		227/1	0.143	0.048
10		227/2	0.144	
11		225/1	0.344	0.014
12		225/2	0.340	
13		246/1	0.454	0.038
14		246/2	0.450	
15		240	0.000	0.068
16		238 शा. न.	4.969	0.047
		239, 240		
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग . .		16 कित्ता	13.187	0.407
1		159	0.458	0.010
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग . .		1 कित्ता	0.458	0.010
अ + ब का योग . .		कुल 17 कित्ता	13.645	0.417

प्रारूप—ख

[नियम—5 का उपनियम (2) देखिए]

क्र. 1286-भू-अर्जन-कार्य-2019.—अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-सिरमौर, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा:—

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	भौखरी खुर्द-428, पटवारी हल्का 37, पताई,	458/1	0.040	0.010
2	रा.नि.मं. लालगांव, तहसील-सिरमौर.	458/2	0.437	
3		459/1	0.024	0.010
4		459/2	0.146	
5		461/1	0.405	
6		461/2	0.263	0.026
7		461/3	0.263	
8		462	0.935	0.023
9		460/1	0.081	0.003
10		460/2	0.040	
11		469/1	0.531	0.030
12		469/2	0.530	
13		470	0.061	0.020
14		471	0.105	0.003
15		474	0.113	0.006
16		475	0.134	0.008
17		476	0.211	0.006
18		526/1	0.061	0.036
19		526/2/क/1/1	0.405	
20		526/2/क/1/2	0.510	
21		526/2/क/2	0.405	
22		526/2/क/3	0.101	
23		526/2/ख	1.040	
24		526/2/ग	0.753	
25		526/3	0.053	
26		526/4	1.041	
27		526/5	0.915	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
28		525/1	0.518	
29		525/2/क	1.453	
30		525/2/ख	0.805	
31		525/2/ग	0.036	0.071
32		525/2/घ	0.809	
33		525/3	0.372	
34		525/4	0.498	
35		525/5	0.146	
36		524/1	1.505	0.062
37		524/2	0.405	
38		523	0.914	0.032
39		516/1	0.142	
40		516/2/क/1	0.368	
41		516/2/क/3	1.036	
42		516/2/क/4	1.036	
43		516/2/क/5	0.227	
44		516/2/ख	0.708	0.146
45		516/2/ख/1	1.184	
46		516/3	0.405	
47		516/4	0.227	
48		516/6	0.137	
49		516/7	0.595	
50		516/8	0.344	
51		516/9	0.348	
52		517/1/1	0.405	
53		517/1/2	0.202	
54		517/1/3	0.202	
55		517/2/1	0.454	0.088
56		517/2/2	0.387	
57		517/3/1	0.748	
58		517/3/2	0.747	
59		517/4	0.813	
(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग . .		59 कित्ता	27.779	0.580
1		451	0.324	0.006
2		468	0.295	0.007
3		500	0.283	0.018
4		518	0.364	0.007
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग . .		4 कित्ता	1.266	0.038
अ +ब का योग . .		कुल 63 कित्ता	29.045	0.618

प्रारूप—ख

[नियम—5 का उपनियम (2) देखिये]

क्र. 1287-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव, राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-सिरमौर, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	भीखरीकला-427, पटवारी हल्का 37 पताई, रा.नि.म. लालगांव, तहसील-सिरमौर	300/1/1	0.388	0.013
2		300/1/2	0.388	
3		300/1/3	0.388	
4		300/2/क	0.405	
5		300/2/ख	0.219	
6		300/3	0.097	
7		300/4	0.053	
8		300/5/क	0.036	
9		300/5/ख	0.081	
10		354/1	0.251	0.044
11		354/2/क	0.049	
12		354/2/ख	0.049	
13		354/2/ग	0.121	
14		354/3	0.219	0.062
15		353/1	0.040	
16		353/2/क	0.069	
17		353/2/ख	0.182	
18		353/3	0.299	
19		353/4	0.162	0.020
20		353/4/ख	0.065	
21		352/1	0.138	
22		352/2	0.105	
23		352/3	0.113	

24		352/4/क	0.186	
25		352/4/ख	0.040	
26		352/4/ग	0.081	
27		352/5/1	0.148	
28		352/5/2	0.148	
29		352/5/3	0.149	
30		351/1	0.231	
31		351/2/क	0.081	0.019
32		351/2/ख	0.049	
33		351/2/ग	0.101	
34		349	0.000	0.050
35		348 349(1.74)	0.902	0.021
36		346/1	0.162	0.063
37		346/1/क	0.166	
38		346/2	0.328	
39		346/3	0.813	
40		346/4	0.486	
41		346/5	0.243	
42		346/5/क	0.130	
43		346/5/ख	0.113	0.070
44		323/1	0.886	
45		323/2	0.656	
46		323/3	0.995	
47		323/4	1.254	0.004
48		326	0.049	
49		327/1	0.332	0.057
50		327/2	0.348	
51		327/3	0.348	
52		327/4	0.202	
53		329/1	0.089	0.002
54		329/2	0.089	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	54 किता	13.722	0.425
1		359	0.405	0.006
2		350	0.906	0.009
3		328	0.129	0.010
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	3 किता	1.440	0.025
	अ + ब का योग-	कुल 57 किता	15.162	0.450

प्रारूप—ख

[नियम—5 का उपनियम (2) देखिए]

क्र. 1288-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव, राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-सिरमौर, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	मदरी-440, पटवारी हल्का 41 मदरी, रा.नि.म. लालगांव, तहसील-सिरमौर	188/1	0.217	0.012
2		188/2/1	0.072	
3		188/2/2	0.072	
4		188/2/3	0.072	0.032
5		187/1	0.269	
6		187/2/1	0.090	
7		187/2/2	0.090	
8		187/2/3	0.090	0.034
9		186	0.680	
10		193	0.910	0.027
11		146/1/क	0.316	0.031
12		146/1/ख	0.032	
13		146/2	0.158	
14		146/3	0.158	
15		145/1/क	0.016	0.009
16		145/1/ख	0.016	
17		145/2/क	0.032	
18		145/2/ख	0.010	
19		145/3	0.032	

20		135/1	0.231	0.027
21		135/2	0.029	
22		135/3	0.202	
23		140	0.109	0.016
24		139	0.146	0.008
25		136/1	0.136	0.030
26		136/2	0.278	
27		113/1	1.032	0.007
28		113/2	0.024	
29		113/3	0.202	
30		79	0.336	0.019
31		80	0.259	0.036
32		82/1/1	0.018	0.005
33		82/1/2	0.018	
34		82/2	0.036	0.023
35		83/1	0.239	
36		83/2	0.235	0.027
37		84/1	0.615	
38		84/2	0.307	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	38 कित्ता	7.784	0.343
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-		0.000	0.000
	अ + ब का योग-	कुल 38 कित्ता	7.784	0.343

प्रारूप—ख

[नियम—5 का उपनियम (2) देखिए]

क्र. 1289-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव, राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए,

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-सिरमौर, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	बांस 377, पटवारी हल्का 01 बांस, रा.नि.म. गढ़, तहसील-मनगवां	1723	0.069	0.001
2		1724	0.575	0.043
3		1744/1	0.405	0.014
4		1744/2	0.045	
5		1744/3	0.168	0.004
6		1745	0.138	
7		1745/2	0.063	
8		1746/1	0.081	0.011
9		1746/2	0.081	
10		1769/1	0.599	0.043
11		1769/2	0.598	

12		1766/1/1	0.049	0.004
13		1766/1/2	0.049	
14		1766/1/3	0.048	
15		1766/2	0.146	0.004
16		1780/1	0.036	
17		1780/2	0.040	0.035
18		1770	0.287	
19		1777	0.036	0.009
20		1778	0.450	0.006
21		1776	0.061	0.007
22		1814/1	0.914	0.128
23		1814/2	1.104	
24		1814/3	0.594	
25		1814/4	0.704	0.019
26		1814/5	1.104	
27		1813/1	0.510	
28		1813/2	0.400	0.007
29		1813/3	0.182	
30		1846	0.069	0.006
31		1847/1	0.028	
32		1847/2	0.008	0.007
33		1848/1	0.097	
34		1848/2	0.040	
35		1848/3	0.040	
36		1848/4	0.057	
37		1848/5	0.049	0.017
38		1849/1	0.622	
39		1849/2	0.207	0.046
40		1850/1	0.186	
41		1850/2	0.061	0.072
42		807/1	3.551	
43		807/2	1.774	
44		807/3	1.774	0.004
45		834	0.138	
46		833/1	0.024	0.009
47		833/2	0.008	
48		832	0.032	0.003
49		831	0.210	0.009
50		829/1	0.060	0.002
51		829/2	0.061	
52		830/1	0.101	0.015
53		830/2	0.101	
54		828/1	0.080	0.019
55		828/2	0.025	
56		828/3	0.033	
57		810/1	0.138	0.023
58		810/2	0.138	
59		809/1	0.028	0.023
60		809/2	0.061	
61		809/3	0.028	
62		812	0.117	0.001
63		532/1	0.040	0.002
64		532/2	0.021	
65		530/1	0.049	0.010
66		530/2	0.020	
67		529/1	0.113	0.031
68		529/2	0.057	
69		522	0.717	0.026
70		542	0.725	0.029
71		541	0.365	0.037
72		540	0.975	0.018

73		584	0.227	0.006
74		583	0.020	0.001
75		582	0.174	0.020
76		581	0.186	0.023
77		553	0.271	0.019
78		555/1	0.067	0.031
79		555/2	0.068	
80		555/3	0.068	
81		555/4	0.068	
82		575/1	0.072	0.019
83		575/2	0.072	
84		575/3	0.072	
85		575/4	0.071	
86		574	0.105	0.003
87		573	0.255	0.017
88		572	0.089	0.014
89		571	0.089	0.010
90		570/1	0.126	0.001
91		570/2	0.125	
92		638/1/1	0.061	0.012
93		638/1/2	0.060	
94		638/2	0.126	
95		639	0.125	0.019
96		646/1/1	0.910	0.061
97		646/1/2	0.911	
98		646/2	0.911	
99		647/1	0.093	0.005
100		647/2	0.040	0.034
101		651/1	0.112	
102		651/2	0.113	
103		651/3	0.225	
104		653/1	0.011	0.005
105		653/2	0.012	
106		653/3	0.022	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	106 किता	28.521	1.044
1		901	0.032	0.003
2		1845	0.560	0.017
3		645	0.878	0.004
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	3 किता	1.470	0.024
	अ + ब का योग-	कुल 109 किता	29.991	1.068

प्रारूप—ख

[नियम—5 का उपनियम (2) देखिए]

क्र. 1290-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव, राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मनगवां, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	माल-468, पटवारी हल्का 6 माल, रा.नि.म. गढ़, तहसील-मनगवां	325/1/क/1	1.417	0.092
2		325/1/क/2	0.109	
3		325/1/ख	0.295	
4		325/2	0.518	
5		325/3/1	0.808	
6		325/3/ख	0.405	
7		325/3/ग	0.810	
8		325/4	2.400	
9		325/5/क/1	1.012	
10		325/5/क/2	0.809	
11		325/5/ख	0.979	
12		325/5/ग	0.437	
13		325/5/घ/1/क	0.400	
14		325/5/घ/1/ख	0.081	
15		325/5/घ/1/ग	0.202	
16		325/5/घ/1/घ	0.202	
17		325/5/घ/1/ङ	0.081	

18		325/5/घ/1/च	0.053	
19		325/5/घ/1/छ	0.109	
20		325/5/घ/2	0.202	
21		325/5/ङ	0.283	
22		325/9	1.012	
23		325/12	0.170	
24		296	1.335	0.046
25		315	0.429	0.044
26		314/1	0.547	
27		314/2	0.262	0.050
28		314/3	0.282	
29		313/1	0.486	0.030
30		269/1/ख	0.132	
31		269/1/मिन-1	0.129	
32		269/1/मिन-2	0.510	
33		269/1/मिन-3	0.405	0.063
34		269/2/1	0.134	
35		269/2/2	0.008	
36		269/3/1	0.255	
37		269/3/2	0.009	
38		111/1	0.235	
39		111/2	0.235	0.058
40		111/2/ख	0.081	
41		113	2.622	0.079
42		114	2.525	0.066
43		78	0.522	0.053
44		76/1	0.286	
45		76/2	0.143	0.045
46		75/1	0.054	
47		75/2	0.027	0.008
48		74/1	0.433	
49		74/2	0.437	0.005
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	49 कित्ता	21.678	0.639
1		77	0.109	0.007
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	1 कित्ता	0.109	0.007
	अ + ब का योग-	कुल 50 कित्ता	21.787	0.646

11

प्रारूप—ख

[नियम—5 का उपनियम (2) देखिए]

क्र. 1291-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव, राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मनगवां, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	लौरी तीसर-518 पटवारी हल्का 5 लौरी, रा.नि.म. गढ़, तहसील-मनगवां	184	1.210	0.056
2		181/1	0.174	0.017
3		181/2	0.238	
4		181/3	0.073	
5		181/4	0.121	
6		181/5	0.300	0.012
7		180/1	0.065	
8		180/2	0.028	0.007
9		175/1/1	0.181	
10		175/1/2	0.130	
11		175/2	0.053	
12		175/3	0.158	0.058
13		179/1	0.283	
14		179/2	0.284	0.001
15		163	0.393	0.031
16		162/1	0.338	
17		162/2	0.338	0.025
18		158/1	0.054	
19		158/2	0.134	
20		158/3	0.138	
21		159/1	0.190	
22		159/2	0.381	0.036
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	22 किता	5.264	0.243
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-		0.000	0.000
	अ + ब का योग-	कुल 22 किता	5.264	0.243

प्रारूप—ख

[नियम—5 का उपनियम (2) देखिए]

क्र. 1292-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव, राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मनगवां, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	बनतर-368, पटवारी हल्का 06 माल, रा.नि.म. गढ़, तहसील-मनगवां	22/1	2.521	0.033
2		22/25/1	0.785	0.066
3		20/1	1.922	0.060
4		18/1	0.966	0.003
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	4 किता	5.228	0.162
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-		0.000	0.000
	अ + ब का योग-	कुल 4 किता	5.228	0.162

प्रारूप—ख

[नियम—5 का उपनियम (2) देखिए]

क्र. 1293-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव, राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मनगवां, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	लौरी कला 516, पटवारी हल्का लौरी, रानि.म. गढ़, तहसील-मनगवां	138/1	1.202	0.075
2		138/2	0.486	
3		155/1	0.320	0.026
4		155/2	0.320	
5		156	0.239	0.014
6		157/1	0.134	0.034
7		157/2	0.348	
8		157/3	0.129	
9		157/4	0.299	
10		158/1	0.236	0.024
11		158/2	0.077	
12		158/3	0.077	
13		158/4	0.081	
14		158/5	0.236	
15		160	0.352	0.013
16		160/2	0.178	
17		161/1	0.328	0.022
18		161/2	0.328	
19		162/1	0.129	0.010
20		162/2	0.134	
21		167	1.405	0.052
22		166	0.991	0.040
23		169	0.599	0.034
24		102	0.878	0.048
25		170	0.68	0.010
26		105	1.088	0.032
27		108	0.158	0.006
28		110	0.563	0.011
29		114	0.158	0.022
30		113/1	0.448	0.028
31		113/2	0.446	
32		113/2/2	0.223	
33		34/1	0.903	0.006
34		34/2	0.142	
35		1211/1/46	0.284	0.024
36		1211/2/46	0.283	
37		46	0.951	0.065
38		45	0.486	0.021
39		44	0.854	0.024
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	39 कित्ता	17.173	0.641
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-		0.000	0.000
	अ + ब का योग-	कुल 39कित्ता	17.173	0.641

प्रारूप—ख

[नियम—5 का उपनियम (2) देखिए]

क्र. 1294-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव, राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए,

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मनगवां, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	पहुआ-284, पटवारी हल्का 2 इटहा, रा.नि.म. गढ़, तहसील-मनगवां	948	1.011	0.029
2		949	0.138	0.017
3		950	0.729	0.058
5		829/1	0.332	0.006
6		829/2	0.142	
7		830	0.405	0.023
8		1057/830/1	0.186	0.028
9		1057/830/2	0.186	
10		827/1	0.235	0.002
11		827/2	0.235	
12		816	0.470	0.023
13		817/1	0.170	0.012
14		817/2	0.170	
15		815	0.081	0.002
18		798	0.121	0.004
19		797	0.405	0.024
20		768/1/क/1	0.348	0.018
21		768/1/क/2	1.101	

22		768/1/ख	0.145	
23		768/2	0.151	
24		768/3	0.101	
25		768/4	0.145	
26		768/5	0.101	
27		786/1	0.858	
28		786/2	0.028	
29		786/3	0.028	
30		786/4	0.081	0.037
31		786/5	0.109	
32		786/6	0.069	
33		786/11	0.073	
34		778	0.214	0.017
35		777	0.117	0.015
36		776/1	0.073	
37		776/2	0.073	0.024
38		776/3	0.073	
39		775/1	0.061	
40		775/2	0.061	0.001
41		775/3	0.061	
43		752/1	0.085	
44		752/2	0.085	0.029
45		749/1	0.061	
46		749/2	0.020	
47		749/3	0.028	
48		749/4	0.057	
49		749/5	0.040	
50		749/6	0.045	0.055
51		749/7	0.069	
52		749/9	0.045	
53		749/12/1	0.049	
54		749/12/2	0.121	
55		735/1	0.101	0.002
56		735/2	0.101	
57		738	0.251	0.001
58		737	0.202	0.012
59		739/1	0.073	
60		739/2	0.146	0.009
61		730/1	0.162	
62		730/2	0.230	
63		730/3	0.161	
64		730/4	0.163	0.003
65		730/5	0.162	
66		730/6	0.162	
67		740	0.364	0.034
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	67 किता	12.030	0.485

1		951	0.417	0.047
2		818	0.162	0.002
3		799/1 शा.न.800	3.934	0.098
4		754	0.299	0.009
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	4 किता	4.812	0.156
	अ + ब का योग-	कुल 71 किता	16.842	0.641

प्रारूप—ख

[नियम—5 का उपनियम (2) देखिए]

क्र. 1295-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव, राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मनगवां, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	लौरी खुर्द-517 पटवारी हल्का 5 लौरी, रा.नि.म. गढ़, तहसील-मनगवां	111	0.785	0.035
2		110	0.563	0.029
3		109	0.680	0.028
4		105	0.833	0.040
5		80/1/1	0.142	0.016
6		80/1/2	0.137	
7		80/1/3	0.137	
8		80/1/4	0.137	
9		80/1/5	0.142	
10		80/1/6	0.137	
11		80/1/7	0.417	
12		80/2	0.417	0.051
13		79/1/क	0.345	
14		79/1/ख	0.101	
15		79/2/क	0.441	0.023
16		79/2/ख	0.441	
17		78/1	0.025	
18		78/2/क	0.320	
19		78/2/ख	0.105	

20		78/3	0.028	
21		58	0.279	0.003
22		59/1	0.049	
23		59/2	0.675	0.058
24		60/1/क	0.389	
25		60/1/ख	0.081	
26		60/2/1	0.156	
27		60/2/2	0.156	0.001
28		60/2/3	0.052	
29		60/2/4	0.052	
30		60/2/5	0.052	
31		55/1/1/क	0.113	
32		55/1/1/ख	0.008	
33		55/1/2	0.162	
34		55/1/3	0.049	
35		55/1/4	0.008	
36		55/2	0.219	
37		55/3	0.219	
38		55/4/1	0.206	0.046
39		55/4/2	0.016	
40		55/5	0.182	
41		55/6	0.219	
42		55/7	0.223	
43		55/8	0.012	
44		55/9	0.012	
45		55/10	0.012	
46		37/1	0.283	
47		37/2	0.101	
48		37/3	0.045	0.060
49		37/4	0.049	
50		37/5	0.040	
51		36/1/2	0.235	
52		36/1/3	0.118	
53		36/1/क	0.079	
54		36/1/ख	0.078	
55		36/1/ग	0.078	
56		36/2	0.028	0.001
57		36/3	0.117	
58		36/4	0.061	
59		36/5	0.057	
60		36/6	0.045	
61		36/7	0.045	
62		31/1	0.287	
63		31/2	0.421	0.038
64		31/4	0.494	

65		30	0.231	0.008
66		9	0.409	0.033
67		7/1	0.118	0.001
68		7/2	0.210	
69		8	0.450	0.031
70		4/1/क	0.591	0.038
71		4/1/क/1	0.215	
72		4/1/ख	0.161	
73		4/2	0.373	
74		3/1	0.081	0.019
75		3/2	0.116	
76		3/3	0.036	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	76 किता	14.359	0.559
1		35/1	1.723	0.004
2		35/2	0.405	
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-	2 किता	2.128	0.004
	अ + ब का योग-	कुल 78 किता	16.487	0.563

प्रारूप—ख

[नियम—5 का उपनियम (2) देखिए]

क्र. 1296-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव, राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मनगवां, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	गढ़-116 पटवारी हल्का 4 गढ़, रा.नि.म. गढ़, तहसील-मनगवां	1914	0.971	0.053
2		1912	1.007	0.039
3		1846/1	0.302	0.051
4		1846/2	0.302	
5		1846/3	0.302	
6		1854	0.206	0.001
7		1853/1	0.064	0.018
8		1853/2	0.063	
9		1853/3	0.063	

10	1857/1	0.318	0.078
11	1857/2	0.334	
12	1857/3	0.470	
13	1857/4	0.425	
14	1859/1	0.280	0.026
15	1859/2	0.101	
16	1859/3	0.101	
17	1859/4	0.158	
18	1860/1	0.303	0.050
19	1860/2	0.304	
20	1860/3/1	0.034	
21	1860/3/2	0.234	
22	1860/4	0.073	
23	1860/5	0.272	
24	1860/6	0.273	0.012
25	1781	0.587	
26	1772/1	0.983	0.045
27	1772/2	0.984	
28	1771/1	0.478	0.110
29	1771/2	0.478	
30	1771/3	0.478	
31	1771/4/1	0.155	
32	1771/4/2	0.162	
33	1771/4/3	0.161	0.060
34	1771/5	0.471	
35	1017	1.263	0.017
36	1028/1	0.081	
37	1028/2	0.081	
38	1028/3	0.077	0.023
39	1029/1	0.413	
40	1029/2	0.212	
41	1029/3	0.417	
42	1029/4	0.214	0.029
43	1021/1	0.348	
44	1021/2	0.344	0.031
45	1022/1	0.342	
46	1022/2	0.342	0.010
47	926/1	0.040	
48	926/2	0.037	0.044
49	933	0.368	
50	934/1	0.158	0.049
51	934/2	0.494	
52	934/3	0.093	
53	934/4	0.242	
54	917/1/1	0.111	
55	917/1/2	0.455	
56	917/2/1/1/1	0.199	
57	917/2/1/1/2	0.012	
58	917/2/1/2	0.060	
59	917/2/2	0.012	

60		917/3/1	0.239	
61		917/3/2	0.040	
62		917/4	0.004	
63		917/5	0.037	
64		921/1/1	0.272	
65		921/1/2	0.041	0.001
66		921/2	0.177	
67		920/1	0.395	
68		920/2	0.548	0.045
69		919/1	0.520	
70		919/2	0.520	0.042
71		904/1	0.247	
72		904/2	0.267	0.055
73		904/3	0.247	
74		904/4	0.251	
75		902/1	0.121	
76		902/2	0.237	0.028
77		902/3	0.129	
78		901/1	0.045	
79		901/2	0.045	0.014
80		901/3	0.089	
81		900	1.376	0.040
82		899	0.182	0.004
83		898	0.101	0.009
84		897/1/1	0.454	
85		897/1/2	0.109	0.025
86		813/1	0.071	
87		813/2	0.069	
88		813/3	0.072	
89		813/4	0.073	
90		813/5/1	0.016	0.036
91		813/5/2	0.021	
92		813/5/3	0.036	
93		813/6	0.073	
94		813/7	0.071	
95		814/1	0.466	
96		814/2	0.097	0.045
97		814/3	0.307	
98		815	0.874	0.042
99		809	0.324	0.010
100		806	1.267	0.029
101		807	0.765	0.049
102		808	0.741	0.001
103		1006/1	0.575	
104		1006/2	0.571	
105		1006/3	0.575	
106		1006/4	1.679	0.086
107		1006/5	1.764	
108		1006/6	0.352	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	108 किता	35.864	1.324
1		800	0.624	0.008
	(ब) स. प्र. शासन की भूमि का योग-	1 किता	0.624	0.008
	अ + ब का योग-	कुल 109 किता	36.488	1.332

प्रारूप—ख

[नियम—5 का उपनियम (2) देखिए]

क्र. 1297-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव, राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	फरहदा 646 पटवारी हल्का 24 फरहदा, रा.नि.म. सीतापुर, तहसील-मऊगंज	9	1.169	0.015
2		19	0.081	0.003
3		18	1.259	0.021
4		10	0.283	0.019
5		1330/1/6	0.587	0.082
6		1330/2/6	0.364	
7		1330/3/6	0.206	
8		1330/4/6	0.101	
9		1330/5/6	0.159	
10		1330/6/6	0.380	
11		1330/7/1/6	0.123	
12		1330/7/2/6	0.123	
13		1330/7/3/6	0.122	
14		1330/8/6	0.367	
15		1330/9/6	0.189	
16		1330/10/6	0.193	
17		1330/11/6	0.189	
18		1330/12/6	0.189	

19		1330/13/6	0.189	
20		1330/14/6	0.189	
21		1330/15/6	0.189	
22		1330/16/6	0.189	
23		1330/17/6	0.125	
24		1330/18/6	0.125	
25		1330/19/6	0.129	
	अ. निजी पट्टे की भूमि का योग—	25 किता	7.219	0.140
	ब. म0प्र0शासन की भूमि का योग—		0.000	0.000
	अ + ब का योग—	कुल 25 किता	7.219	0.140

प्रारूप—ख

[नियम—5 का उपनियम (2) देखिए]

क्र. 1298-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव, राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	बहेरी नानकर 713, पटवारी हल्का 28 ऊँची, रा.नि.म. सीतापुर, तहसील-मऊगंज	341/1	0.113	0.012
2		341/2	0.308	
3		341/3	0.089	
4		341/4	0.089	0.009
5		343	0.069	
6		344	0.542	0.035
7		340	2.152	0.004
8		356	2.012	0.074
9		357	0.304	0.003
10		358/1	1.319	0.103
11		358/2	1.821	
12		358/3	1.821	
13		360 शा. ख.न. 359 मे	0.000	0.016
14		361 शा. ख.न. 359 मे	0.000	0.008
15		362 शा. ख.न. 359 मे	0.000	0.006
16		366/1	0.128	0.019
17		366/2	0.089	
18		366/3	0.085	
19		366/4	0.089	

20		311/1	0.202	0.002
21		311/2	0.012	
22		316	0.829	0.047
23		315	0.166	0.001
24		314/1	0.097	0.016
25		314/2	0.040	
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-	25 किता	12.376	0.355
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग-		0.000	0.000
	अ + ब का योग-	कुल 25 किता	12.376	0.355

प्रारूप—ख

[नियम—5 का उपनियम (2) देखिए]

क्र. 1299-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव, राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	कोन मु. ढेरा 152 पटवारी हल्का 25 ढेरा, रा.नि.म. सीतापुर, तहसील-मऊगंज	11/1	0.218	0.032
2		11/2	0.223	
3		11/3	0.437	
4		10/1	0.032	0.003
5		10/2	0.032	
6		10/3	0.032	
7		9/1	0.004	0.036
8		9/2	0.437	
9		9/3	0.793	
10		9/4	0.551	
11		9/5/क	0.739	
12		9/5/ख	0.046	
13		9/6	0.242	
14		9/7	0.149	

15		14/1	0.061	0.019
16		14/2	0.121	
17		14/3	0.182	
18		14/4	0.040	
19		5/1	0.287	0.002
20		5/2	0.040	
21		3/1/1	0.028	0.037
22		3/1/2	0.029	
23		3/1/3	0.029	
24		3/1/4	0.029	
25		3/1/5	0.115	
26		3/2/क	0.373	
27		3/2/ख	0.093	
28		3/3	0.230	
29		2/1	0.045	0.021
30		2/2	0.097	
31		2/3	0.145	
32		2/4	0.036	
33		2/5	0.215	
34		2/6	0.036	
	अ. निजी पट्टे की भूमि का योग-	34 किता	6.166	0.150
1		12	0.324	0.021
	ब. म0प्र0शासन की भूमि का योग-	1 किता	0.324	0.021
	अ + ब का योग-	कुल 35 किता	6.490	0.171

प्रारूप—ख

[नियम—5 का उपनियम (2) देखिए]

क्र. 1300-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव, राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	हर्दी 1048 पटवारी हल्का 14 उधेहरा, रा.नि.म. देवतालाब, तहसील-मऊगंज	12/1	0.344	0.009
2		12/2	0.004	
3		12/3	0.358	
4		12/4	0.358	
5		12/5	0.004	
6		12/6	0.005	
7		14	0.125	0.008
8		15/1	0.032	0.009
9		15/2	0.032	
10		17	0.073	0.005
11		23	0.279	0.026
12		28	1.057	0.064
13		11/1	0.183	0.049
14		11/2	0.182	
15		11/3	0.182	
16		11/4	0.182	
17		11/5	0.244	
18		11/6	0.242	
19		11/7	0.243	
20		11/8	0.364	
21		11/9	0.244	
22		11/10	0.242	
23		11/11	0.243	0.001
24		11/12	0.363	
25		56/1	0.142	
26		56/2	0.227	
27		56/3	0.319	
28		72/1	0.317	0.029
29		72/2	0.012	
30		72/3/1	0.097	
31		72/3/2	0.097	
32		72/3/3	0.097	
33		72/4	0.116	
34		72/5	0.519	
35		72/6	0.012	
36		71	0.174	0.021
37		73	0.744	0.023
38		74/1	0.250	0.027
39		74/2	0.250	
40		74/3	0.249	
41		77	0.792	0.023
42		80	0.045	0.004
43		82	4.302	0.065
44		81/1	0.278	0.024
45		81/2	0.277	

46		101/1	0.840	0.023
47		101/2	0.910	
48		101/3	1.613	
49		83/1	8.348	0.102
50		83/2	0.393	
51		83/3	0.235	
52		83/4	0.121	
53		87/1	0.199	0.015
54		87/2	0.198	
55		87/3	0.198	
56		87/4	0.198	
	अ. निजी पट्टे की भूमि का योग--	56 किता	28.154	0.527
1		88	0.520	0.012
	ब. म0प्र0शासन की भूमि का योग--	1 किता	0.520	0.012
	अ + ब का योग--	57 किता	28.674	0.539

प्रारूप—ख

[नियम—5 का उपनियम (2) देखिए]

क्र. 1301-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव, राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	कूडी 132 पटवारी हल्का 26 ऊँची, रा.नि.म. सीतापुर, तहसील-मऊगंज	62	0.138	0.010
2		61	0.089	0.010
3		59	0.000	0.006
4		213/58 शा.नं.58 मे	0.000	0.004
5		7 शा. नं. 59	0.117	0.005
6		8	0.113	0.015
7		12	0.125	0.009
8		15	0.368	0.002

9		17/1	0.053	0.004
10		17/2	0.053	
11		19	0.061	0.009
12		20	0.065	0.010
13		21	0.069	0.005
14		23	0.081	0.005
15		27	0.032	0.006
16		207/26	0.012	0.007
17		26	0.053	0.002
18		30	0.291	0.010
	अ. निजी पट्टे की भूमि का योग-	18 किता	1.461	0.093
1		13	0.032	0.005
2		14	0.032	0.009
	ब. म0प्र0शासन की भूमि का योग-	2 किता	0.064	0.014
	अ + ब का योग-	कुल 20 किता	1.525	0.107

प्रारूप—ख

[नियम—5 का उपनियम (2) देखिए]

क्र. 1302-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव, राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए,

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	ढेरा 420 पटवारी हल्का 25 ढेरा, रा.नि.म. सीतापुर, तहसील-मऊगंज	141/1	0.061	0.025
2		141/2	0.219	
3		141/3	0.219	
4		141/4	0.254	
5		140/1	0.061	0.014
6		140/2	0.069	
7		143/1	0.251	0.007
8		143/2	0.012	
9		143/3/क	0.097	

10		143/3/ख	0.061	0.025
11		143/3/ग	0.097	
12		143/4	0.012	
13		133/1	0.462	
14		133/2	0.012	
15		133/3	0.101	0.023
16		133/4	0.078	
17		133/5	0.020	
18		133/6	0.275	
19		15	0.486	0.002 ✓
20		18/1	0.227	
21		18/2	1.214	0.039
22		18/3	0.194	
23		19/1	0.405	
24		19/2/क	0.405	0.025 ✓
25		19/2/ख	0.405	
26		135/1	0.409	0.010 ✓
27		135/2	0.012	
28		134/1	0.421	0.027 ✓
29		134/2	0.016	
30		97	0.603	0.006 ✓
31		98/1	0.369	0.041 ✓
32		98/2	0.365	
33		85	0.591	0.015 ✓
34		84	0.032	0.003 ✓
35		82	0.077	0.012 ✓
36		80	0.125	0.008 ✓
37		81	0.109	0.007 ✓
38		77/1	0.510	
39		77/2	0.763	0.070 ✓
40		77/3	0.848	
41		353/75	0.049	0.002 ✓
42		76	0.125	0.019 ✓
43		13	0.761	0.019 ✓
44		14/1	0.219	0.018 ✓
45		14/2	0.121	
46		17/1	0.134	0.016 ✓
47		17/2	0.134	
	अ. निजी पट्टे की भूमि का योग-	47 किता	12.490	0.426
1		138	0.429	0.009
	ब. मप्रशासन की भूमि का योग-	1 किता	0.429	0.009
	अ + ब का योग-	48 किता	12.919	0.435

प्रारूप—ख

[नियम—5 का उपनियम (2) देखिए]

क्र. 1303-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव, राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	माट मु. ढेरा 784, पटवारी हल्का 25 ढेरा, रा.नि.म. सीतापुर, तहसील-मऊगंज	54	10.247	0.074
2		56	0.158	0.004
3		55	0.360	0.035
4		38	0.162	0.012
5		39	0.563	0.005
6		33	0.085	0.008
7		40	0.425	0.018
8		32	0.085	0.001
9		31	0.142	0.006
10		30	0.020	0.003
11		61/40	0.142	0.009
12		29	0.069	0.004
13		28	0.085	0.014
14		24	0.073	0.002
15		20	0.077	0.002
16		21	0.024	0.004
17		19	0.324	0.022
18		18	0.069	0.003
	(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग—	18 कित्ता	13.110	0.226
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग—		0.000	0.000
	अ + ब का योग—	कुल 18 कित्ता	13.110	0.226

ए. के. झा, अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन अपरसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 04 जून 2019

क्र. 3629-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चौद

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-आमगांव, प.ह.नं. 47, ब. नं.-04,
रा.नि.मं.-चौद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—कुल
रकबा—05.042 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर
आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)	(1)	(2)
(1)	(2)		
236/2, 237/2	0.030	145/14	0.056
236/1, 237/1	0.100	145/2	0.020
17/2-3-4-5-6-7-8,	0.060	142/2क, 142/3, 149/1-2	0.070
18/2-3-4-5-6-7		143/1, 143/9	0.068
17/9, 18/8	0.060	143/8, 143/6	0.095
17/1, 18/1, 19/1,	0.100	135/3	0.160
20/1, 159/1		135/1	0.040
19/2, 20/2, 22/2,	0.114	135/7	0.092
158/2, 159/5		135/2	0.208
159/2	0.030	129/6/1	0.066
159/6	0.095	129/6/2	0.066
57/1	0.010	124/1, 125/1, 126/1	0.080
146/1, 158/4	0.092	129/2	0.150
146/4	0.142	124/2, 125/2, 126/2	0.130
57/9, 145/5	0.072	124/3, 125/3, 126/3	0.168
145/10	0.064	123/11	0.045
142/7, 147/5, 149/5	0.070	136/1	0.128
		136/2	0.122
		136/3	0.034
		137/2, 392/2	0.032
		137/1, 392/1, 393/4	0.032
		8/3/2, 8/5/2	0.060
		8/3/1, 8/5/1	0.060
		254/2, 255/2, 256/2	0.120
		253/1	0.060
		257/1-2, 258/1-2	0.243
		272, 273	0.112
		294/2, 295/1, 296/2	0.010
		292/2, 293/2, 294/1	0.030
		292/1, 293/1, 293/3	0.230
		313/3	0.063
		307/1, 307/4	0.085
		307/2, 307/3, 292/3	0.043
		314/6, 325/4	0.070
		314/3, 325/3	0.056
		314/4, 324/2, 325/2	0.060
		314/5, 324/1	0.080
		314/9	0.056
		314/13	0.047

(1)	(2)	
313/1, 313/2	0.122	
312/1, 312/2	0.090	
352/2	0.120	
270/1, 271/1,	0.128	हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली सम्पत्तियां.
274/1, 275/1		
268/1, 269/1	0.064	
266/1, 267/2	0.040	
266/2, 267/3,	0.092	योग . . 05.042
268/2, 269/2		

में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
 (ख) तहसील—चौद
 (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-टाप, प.ह.नं. 48, ब. नं.-111, रा.नि.मं.-चौद.
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—कुल रकबा—02.315 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत खैरघाट उप वितरक नहर की 13 आर, 14 आर, 15 एल माईनर एवं 14 आर की 1 आर, 15 एल की 1 आर सब-माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
341/4/ख	0.044
347/2	0.016
348/1, 355/1	0.184
348/3, 355/3	0.043
348/4, 355/4	0.048
348/2, 355/2	0.044
352/1	0.048
352/2	0.048
352/4	0.048
424/2-4	0.048
352/5	0.048
424/3	0.042
422, 423	0.088
420/3	0.056
420/6	0.028
419/1, 420/1,	0.088
420/2, 421	
3/2, 44/2, 45/2	0.022
3/1, 4/1, 42/1,	0.022
43/1, 44/1, 45	
4/2, 5/2, 42/2, 43/2	0.022
5/1, 7/1	0.022
7/2, 7/3	0.036
8	0.051

क्र. 3630-भू-अर्जन-2019.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)

(1)	(2)
11/1	0.060
12/2	0.029
13/1, 13/2	0.024
14/1, 15/1	0.035
95/2	0.021
96/2, 96/3	0.225
96/4	0.020
96/1	0.096
166/1, 199/1	0.086
101	0.092
160/2	0.060
160/1	0.048
160/5	0.120
164/1, 164/2	0.074
153/1	0.043
170/1, 171/2	0.054
170/3	0.045
172/5	0.044
172/2	0.043

योग . . . 02.315 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली सम्पत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत खैरघाट उप वितरक नहर की 15 एल, 17 एल माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 3631-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
 (ख) तहसील—चौद
 (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-पिपरियाखाती, प.ह.नं. 40, ब. नं.-167, रा.नि.मं.-चौद.
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—कुल रकबा—01.802 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
20/1	0.042
20/2	0.058
72/1	0.024
72/4	0.024
72/5	0.024
72/6	0.024
72/2/2	0.015
72/2/1	0.010
67/3, 67/4,	0.015
67/7, 68/7	
166/1	0.052
162/1	0.030
67/2, 68/8, 68/20	0.014
162/5, 163/3	0.024
68/26, 71/2	0.048
68/17	0.024
27/9, 28/6	0.019
27/10, 28/7	0.014

(1)	(2)
27/11, 28/8	0.016
27/8, 28/5	0.027
27/13	0.172
27/5	0.050
27/2, 28/2	0.027
27/3, 28/3	0.048
27/4	0.048
241/1, 242/2	0.060
253/4	0.034
253/1	0.037
252/1	0.138
175/3	0.112
136/3	0.044
136/2	0.191
136/1	0.135
136/7	0.025
162/15, 163/5	0.066
162/4/1, 163/2/1	0.008
162/8	0.008
162/9	0.008
162/10	0.008
161/1	0.014
161/2	0.016
162/4, 163/4	0.024
162/13, 139/11, 147/4	0.025

योग . . . 01.802 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली सम्पत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत खैरघाट उप वितरक नहर की 14 एल, 2 आर माईनर एवं 2 आर माईनर की 1 एल सब माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.

- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपरसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 12 जून 2019

प्र. क्र. 04-अ-82-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—श्यामपुर
(ग) ग्राम—घाटपलासी
(घ) क्षेत्रफल—11.305 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर	योग (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/2	0.200
2/3	0.136
2/4	0.020

(1)	(2)	(1)	(2)
2/5	0.405	57/2/1	0.125
2/1	1.500	57/2/2	0.150
5/3	0.120	81/1	0.113
5/1	0.305	82	0.050
8/8/1	0.050	88/1	0.304
8/2	0.020	171/1	0.405
8/5	0.060	174/1	0.105
5/2	0.070	174/3	0.105
20	0.020	174/6	0.150
21/1	0.020	175/4	0.190
9/9	0.008	9/8	0.008
26/19	0.405	9/10	0.150
26/30	0.053	26/11/1	0.020
19/3	0.020	26/29	0.090
21/2	0.030	469/4	0.040
45/3	0.200	469/5	0.240
45/2/2	0.200	472/3/1	0.240
45/1	0.150	9/7	0.080
45/2/1	0.125	8/8/2	0.060
50/2	0.090	8/3	0.060
50/1/1	0.052	8/6	0.010
26/5	0.090	8/4	0.045
26/8	0.081	9/5	0.170
26/1	0.205	9/2/ख	0.007
26/12	0.048	15/4	0.030
26/10	0.150	15/3	0.030
26/3	0.050	469/1	0.215
26/4	0.045	175/1	0.150
27/1, 28	0.405	174/2	0.090
26/27	0.125	174/7	0.110
9/1/च	0.100		
9/3/क	0.007		
26/9/2	0.121		
26/25	0.405		
26/28	0.202		
26/31	0.304		
26/32	0.030		
27/3/क, 28	0.607		
27/3/ख, 28	0.202		
27/3/ग, 28	0.202		
57/1	0.125		
		महायोग . .	<u>11.305</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु, भू-अर्जन, भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 11-अ-82-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची		(1)	(2)
(1) भूमि का वर्णन—			
(क) जिला—सीहोर		26/2	0.724
(ख) तहसील—श्यामपुर		28/1/3	0.735
(ग) ग्राम—पडयाला		28/1/4	1.485
(घ) क्षेत्रफल—56.132 हेक्टेयर.		28/1/5/1	1.214
		28/1/1	1.485
		28/8	1.821
सर्वे नंबर	योग	30/1/3	0.200
(1)	(2)	30/1/4	0.200
3, 11/3, 477/3, 478/3/1	1.000	30/2	0.200
3/2, 11/3, 477/3, 478/3/2	0.500	42	0.150
4/1	0.534	43/1	0.250
4/2	0.534	44	0.150
7/2/8/1	0.782	47/1	0.350
7/1, 8/3	1.659	49/1	0.100
9/4/3, 11/4, 12/1, 13/2, 20/3	0.150	47/3	0.350
214/2	0.065	47/4	0.350
5/2	0.619	47/2	0.350
9/4/1, 11/4, 12/1, 13/2, 20/3/1	0.250	51/1/1/3	0.033
9/3/1, 10	0.600	51/2	0.051
210/2	0.057	51/1/2	0.150
9/4/4, 11/4, 12/1,	0.150	51/3	0.200
13/2, 20/3/4		92/2/2	1.000
11/1	0.250	92/2/2/3	0.161
11/2	0.100	92/2/2/6	0.405
13/1/2/1	0.170	92/2/2/7	0.380
14/1	0.290	92/1	0.405
25/1	1.470	92/2/2/9	0.390
174	0.069	92/2/2/10	0.200
16/1/1	0.040	92/2/2/13	0.205
28/1/2	1.600	92/2/2/4	0.200
16/2	0.100	92/2/2/11	0.090
16/1/2	0.060	92/2/2/5	0.250
14/2	0.250	92/2/2/8	0.300
51/1/1/1	0.033	180/1	0.050
26/1	2.023	180/2	0.050
28/2	1.052	51/1/1/2	0.033
		181	0.136
		188	0.113
		195	0.129
		204	0.024
		177	0.128

(1)	(2)	(1)	(2)
330	0.607	89/3	0.250
221/2/2	0.190	87/4, 88	0.250
221/2/4	0.089	89/4	0.250
221/2/2/1	0.405	90/3	0.304
221/2/3/2	0.110	90/1	0.205
221/2/1	0.405	210/1	0.057
326/2/4/1	0.200	90/2	0.159
326/1/5	0.302	9/4/2/2, 11/4, 12/1,	0.056
326/2/2/1	0.202	13/1, 20/3	
326/2/14	0.093	92/2/2/1	0.200
326/2/3	0.500	92/2/2/6	0.500
326/2/7	0.592	92/2/2/12	0.120
326/2/5	0.492	176/1	0.049
326/2/1	0.405	182	0.045
326/2/6/1	0.480	208/1	0.044
326/2/6/2	0.480	208/2	0.049
326/1/2	0.200	209	0.053
326/2/2/2	0.202	213	0.036
326/1/3	0.202	215	0.077
326/2/4/2	0.240	229/230	0.200
326/2/12	0.800	216/2, 217	0.085
326/1/4	0.202	217/3, 228	0.255
331/1	0.607	344/476/346/1/0001	0.214
334/1/2	1.092	365	0.405
334/1/1	1.202	19	0.220
334/2	1.619	20/1/1	0.225
28/7	1.821	20/1/2	0.225
5/1	0.615	23/1	0.510
9/4/2/1, 11/4, 12/1, 13/1, 20/3	0.194	23/2	0.514
212	0.036	23/3	0.509
214/1	0.028	17/4, 22/1	0.785
18/1	0.220	17/1/क, 17/2, 18/2, 21, 22/2	0.240
458/4	1.071	17/1/क/2, 17/2, 18/2,	0.380
13/1/2/2	0.120	21, 22/2क	
32/1	0.200	25/2	1.473
32/2	0.200	28/1/5/2	0.271
87/1, 88	0.100	महायोग	56.132
89/1	0.190		
87/2, 88	0.100		
89/2	0.250		
87/3, 88	0.250		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु. भू-अर्जन. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 19-अ-82-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर

(ख) तहसील—श्यामपुर

(ग) ग्राम—अरनिया सुल्तानपुरा

(घ) क्षेत्रफल—37.768 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर

योग
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

3/1

0.647

3/2

0.259

3/5

0.259

3/3

0.259

28/1/4

0.692

3/4

0.129

4/1

0.200

40

0.120

120/1

0.121

4/4

0.030

17/2/1

0.088

27/1/3/1

0.275

17/2/2

0.088

18/1

0.769

18/2

2.339

20/1

0.065

22/1

0.263

23/3

1.011

25/1

0.032

35/2/2

0.057

20/2

0.069

(1)

(2)

22/2

0.263

23/4

0.028

24/6

0.837

25/2

0.036

20/3

0.068

22/3

0.263

23/5

0.028

24/5

0.829

25/3

0.036

20/4

0.068

22/4

0.263

23/2

0.348

24/3

0.278

25/4

0.037

20/5

0.138

24/4

0.692

25/5

0.069

20/6

0.134

22/6

0.530

24/1

1.505

24/2

0.160

25/6

0.073

22/5

0.526

23/1

0.405

27/1/1/1

0.271

27/1/1/3

0.271

27/1/2

0.255

28/2

0.405

29/1

0.021

39/2

0.020

41/1/1

0.202

27/1/3

0.700

27/1/3/2

0.137

28/1/2

0.170

27/1/3/3

0.137

28/1/3

0.174

27/1/3/4

0.425

(1)	(2)	(1)	(2)
27/1/12	0.271	121	0.090
27/2	0.324	123	0.150
27/3/1	0.275	158	0.733
28/1/1	0.416	159	0.356
29/2	0.676	125	0.065
30	1.056	212/1	0.405
41/2/1	0.322	154/1	0.250
33	1.011	155	0.007
34	0.299	156	0.040
37, 38	0.158	157/1	0.405
35/1/1	0.076	157/2	0.150
351/2	0.016	161/1	0.180
35/1/3	0.020	162	0.890
35/2/1	0.061	161/2	0.400
114/1/1	0.267	163/1	0.080
35/3/2, 36	0.036	210/1/4	0.050
112/2	0.332	212/2	0.010
115	0.316	212/4	0.010
118/1	0.081	212/3	0.010
39/3/3	0.028	212/5	0.100
39/3/4	0.040	212/6	0.100
41/2/2	0.660	212/7	0.100
41/3	0.627	212/8	0.010
41/1/2	1.877	212/11	0.010
41/1/3	1.465	212/17	0.010
108/1	0.096	114/1/2	0.068
108/3	0.020	112/1	0.218
124/2	0.212	114/1/3	0.073
212/15	0.010	113	0.214
108/2	0.300	116/1	0.006
212/16	0.010	124/1	1.300
114/2	0.405	138/1	0.120
118/3	0.060		
119	0.024		
120/2	0.125		
116/2	0.402		
118/2	0.210		
		महायोग	37.768

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु भू-अर्जन भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.